

परिचायिका
PROSPECTUS
2021-22



केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली - ५८
(संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित)
Central Sanskrit University, Delhi - 58
Established by An act of Parliament

प्रकाशक
कुलसचिव
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
56-57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी
नई दिल्ली-110058

Publisher
REGISTRAR
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area, Janakpuri
NEW DELHI-110058

Website : www.sanskrit.nic.in
© Central Sanskrit University, New Delhi

Printer

शान्तिपाठः

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः।

शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥

यतो यतः समीहसे ततो नो अभयङ्कुरु।

शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः॥

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्॥

सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।

तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

PRAYER FOR PEACE

Peace to the space, peace to the earth, peace to all medicinal plants.

Peace to the vegetation, peace to all gods of the world, peace to the

creator of the universe, Peace to everything,

may the same peace come to me as well.

May we be fearless of all that threatens us.

Bless all the people and all our cattle with Your beneficence.

May all be comfortable, may all be healthy,

May all see good things in life,

may nobody see misfortune in his life.

May we stay together, eat together,

do great deeds together.

May we be glorious,

may there be no dissensions amongst us.

May there be peace, and peace, and peace, to the whole universe.

प्रतीक चिह्न



केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतीक चिह्न में चारों ओर से घिरे हुए लाल, सफेद और काले रंग के स्तम्भ ब्रह्माण्ड के आत्मत्व गुणों-सत्त्व, रजस्, और तमस् के प्रतीक हैं। इस तरह त्रिगुणात्मक प्रपञ्च में सत्त्व और रज गुणों से परिपूर्ण विश्वविद्यालय पूर्वोक्त चारों स्तम्भों में अन्तर्वर्ती सफेद और रक्त स्तम्भ को सूचित करता है। वहीं ऊपरी भाग में **योऽनूचानः स नो महान्!** यह ध्येयवाक्य वेदादि विद्याओं का प्रतीकभूत है। मण्डल के बायें भाग में त्रिगुण की व्यञ्जिका लाल, सफेद और काली रेखाएँ क्षुब्धतरंग की तरह ऊपर से नीचे की ओर क्रम से बढ़ रहीं हैं। ये ब्रह्म के संयोग से क्षुब्ध प्रकृति की विश्वाकार अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को प्रतिपादित करती है। इस अभिव्यक्ति में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत के प्रचार के द्वारा व्यापनशील हो, अपनी प्रभा सर्वत्र प्रकाशित करते हुए मूलकोष्ठ में विराज रहा है, यह प्रतिपादित होता है। मण्डल के दायें भाग में पुनः त्रिगुण और तीन वर्णों वाली रेखाएँ अधः उर्ध्व क्रम से अपने लक्ष्यभूत प्रज्ञान को ब्रह्म के प्रति जाने के इच्छुक केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का लक्ष्य प्रतिपादित करती हैं। केन्द्र में सूर्याभिमुख पुष्प केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के ऋतानुकूलस्वभावत्व (सत्य के अनुकूल स्वभाव के अनुरूप) को बताता है। पुष्पवृन्त में लगा पत्रयुगल अभ्युदय-निःश्रेयसरूप धर्म के तत्त्व को बताता है। पुष्प के अन्तर्वर्ती मध्यभाग में CSU (Central Sanskrit University) नामक अंग्रेजी लिपि का अक्षर मुकुलित पद्म की तरह अविकसित से विकसित स्वरूप तक ले जाने का प्रतीक है।

1

न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः

ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान्॥ (महाभारत-शल्यपर्व 50.40)

(मानव की महत्ता न तो उम्र से, न बाल पकने से, न धन से और न तो बन्धुवर्ग से ज्ञात होती है, अपितु ऋषिपरम्परानुसार मानव-जाति में जो अध्ययनशील (वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञ) है, वह महान् है।)

दृष्टि एवं ध्येय

दृष्टि

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संस्कृत शिक्षा की गरिमा की संस्थापना के लिए केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय के रूप में उपलब्धि सुनिश्चित करना।

ध्येय

संस्कृत विद्या की समग्र शाखाओं का सर्वाङ्गीण विकास तथा आधुनिक प्रणालियों के द्वारा संस्कृत संसाधनों का उन्नयन करना।

संस्कृत, पालि तथा प्राकृत भाषाओं में इन भाषाओं के परस्पर सांस्कृतिक अन्तःसम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण व अनुसन्धान का व्यवस्थापन करते हुए भाषिक विविधता तथा सांस्कृतिक बहुलता का उन्नयन।

इन भाषाओं की ज्ञान प्रणालियों में दार्शनिक एवं वैज्ञानिक तत्त्वों का संरक्षण एवं समुन्नयन तथा इन ज्ञान प्रणालियों का सांस्कृतिक धरोहर के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हुए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों के माध्यम से इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
शान्तिपाठ	03
प्रतीक चिह्न	04
दृष्टि तथा ध्येय	05
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	
1. परिचय	08
2. उद्देश्य	08
3. प्रमुख कार्य	09
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय - प्रवेशादि विषयक सामान्य नियम	
1. प्रवेश के नियम व पाठ्यक्रम	10
2. प्रवेशनिरस्ति और प्रतीक्षकों का प्रवेश	19
3. सुरक्षित धनराशि	20
4. उपस्थिति व अवकाश नियम	20
5. शुल्क-विवरण	22
6. छात्रकल्याण परिषद्	25
7. अनुशासन	25
8. रैगिंग-निषेध-अधिनियम	26
9. छात्रवृत्ति	28
10. छात्रों को प्रदेय सुविधाएँ	31
11. छात्रावास	32
12. परिसर की समितियाँ	32
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसर	
1. गङ्गानाथ झा परिसर, प्रयाग (उत्तरप्रदेश)	34
2. श्री रणवीर परिसर, जम्मू (जम्मू-कश्मीर)	34
3. श्री सदाशिव परिसर, पुरी (उडीसा)	35
4. गुरुवायूर परिसर, त्रिशशूर (केरल)	35

5.	जयपुर परिसर, जयपुर (राजस्थान)	36
6.	लखनऊ परिसर, लखनऊ (उत्तरप्रदेश)	36
7.	राजीव गान्धी परिसर, शृङ्गेरी (कर्णाटक)	37
8.	वेदव्यास परिसर, बलाहार (हिमाचलप्रदेश)	37
9.	भोपाल परिसर, भोपाल (मध्यप्रदेश)	38
10.	क.जे.सोमैया परिसर, मुम्बई, (महाराष्ट्र)	38
11.	एकलव्य परिसर, अगरतला (त्रिपुरा)	39
12.	श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग (उत्तराखण्ड)	39

आवश्यक सूचना

- ❖ इस पुस्तिका में वर्णित किसी भी नियम का संशोधन/परिवर्धन या निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के अधीन होगा।
- ❖ किसी भी अनिश्चय की स्थिति में कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
- ❖ किसी न्यायिक विवाद की अवस्था में न्याय का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा।

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली

1. परिचय

राष्ट्रीय-संस्कृत-संस्थान की संस्थापना अक्टूबर, 1970 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का अधिनियम XXI) के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन के रूप में पूरे देश में संस्कृत के समग्र विकास तथा प्रोन्नयन हेतु हुई थी। अपने निर्माण काल से ही यह भारत-सरकार द्वारा पूर्णरूपेण प्रदत्तनिधि है। यह संस्कृत के प्रचार-प्रसार तथा विकास हेतु शीर्ष निकाय के रूप में कार्यरत रहा है तथा संस्कृत विद्या के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं तथा कार्यान्वयन में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की सहायता करता रहा है। संस्कृत भाषा के संरक्षण, प्रसार तथा विकास और इसके सभी पक्षों की शिक्षा हेतु 1956 में भारत सरकार, शिक्षा मन्त्रालय द्वारा स्थापित 'संस्कृत आयोग' की विभिन्न संस्तुतियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इसने एक केन्द्रीय अभिकरण के रूप में भूमिका निभाई है।

संस्थान के पारम्परिक संस्कृत शिक्षण के संवर्धन और सम्प्रसारण के क्षेत्र में योगदान, इसके श्रेष्ठ प्रकाशनों और इसके द्वारा 58,000 से भी अधिक दुर्लभ संस्कृत पाण्डुलिपियों के संरक्षण तथा प्रबन्धन को महत्त्व देते हुए, भारत सरकार ने इसे 7 मई, 2002 से मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया, जो अधिसूचना संख्या एफ. 9-28/2000 यू 3 के अन्तर्गत है तथा जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना संख्या एफ 6-31/2001 (सी.पी.पी.-1), दिनांक 13 जून 2002 से अनुगत किया गया।

विगत दशकों में संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान ने अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया। फलतः भारत सरकार ने राष्ट्रीय-संस्कृत-संस्थान को भारत के राजपत्र सं सी.जी.-डी.एल-अ-17042020-219068 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकृति प्रदान की। जिसके अनुसार राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिनांक 30 अप्रैल, 2020 से केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।

2. विश्वविद्यालय के मूल उद्देश्य -

संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार की सुविधा प्रदान करना और ज्ञान की अन्य शाखाओं का विस्तार और प्रोन्नयन करना, अपने शैक्षिक कार्यक्रमों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रमों का विशेष रूप से प्रावधान करना; शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया और अंतर-विषयात्मक अध्ययन और अनुसंधान में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए उचित उपाय करना; संस्कृत और संस्कृत पारंपरिक विषयों के क्षेत्र में समग्र विकास, संवर्धन, संरक्षण और अनुसंधान के लिए नई पीढ़ी को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना।

3. प्रमुख कार्य

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में कार्यरत है:

- ❖ विभिन्न राज्यों में परिसरों की स्थापना।
- ❖ माध्यमिक, पूर्वस्नातक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर परम्परागत पद्धति से संस्कृत शिक्षण तथा संस्कृत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि हेतु शोध-कार्य का संचालन व समन्वयन।
- ❖ शिक्षा शास्त्री (बी.एड.) तथा शिक्षाचार्य (एम.एड;) स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन करना।
- ❖ उभयनिष्ठ अभिरुचि वाली संयुक्त परियोजनाओं के प्रायोजन में अन्य संगठनों से सहयोग करना।
- ❖ संस्कृत पुस्तकालयों, पाण्डुलिपि संग्रहालयों की स्थापना और दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थों का सम्पादन तथा प्रकाशन करना।
- ❖ स्वीकृत निर्धारित पाठ्यक्रम/शोध को संतोषजनक रूप से पूर्ण करके निर्धारित परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों को उपाधियाँ और डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र प्रदान करना।
- ❖ विजिटरशिप, फेलोशिप, छात्रवृत्तियाँ, पुरस्कार तथा पदकों का संस्थापन एवं उनको प्रदान करना।
- ❖ मुक्तस्वाध्यायपीठ के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा-कार्यक्रमों का संचालन करना।
- ❖ संस्कृत, पालि तथा प्राकृत के प्रोन्नयन हेतु मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार की योजनाओं को केन्द्रीय अभिकरण के रूप में कार्यान्वयित करना।

संस्कृत के विकास के लिए दस-वर्षीय भावी योजना में विज्ञान एवं मिशन के अंतर्गत अष्टादशी-परियोजनाएं

- | | |
|--|---|
| ❖ ज्ञानात्मक साहित्य अनुवाद परियोजना | ❖ पाण्डुलिपियों का संपादन एवं प्रकाशन |
| ❖ डिजिटल एवं ऑन-लाईन परियोजना | ❖ ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम परियोजना |
| ❖ समकालीन साहित्य परियोजना | ❖ सांध्यकालीन विद्यालय परियोजना |
| ❖ प्रौद्योगिकी अनुकूलन परियोजना | ❖ कम्प्यूटर शिक्षा परियोजना |
| ❖ द्विवार्षिक संस्कृत पुस्तक मेला परियोजना | ❖ जनता तक पहुँच परियोजना |
| ❖ शब्दशाला परियोजना | ❖ दुर्लभ पुस्तकों का पुनः प्रकाशन |
| परियोजना | |
| ❖ आवासीय प्रशिक्षण परियोजना | ❖ संस्कृत-आधुनिक विषयों की समेकन परियोजना |
| ❖ इन्टरनेट परियोजना के लिए सहायता | ❖ बाल साहित्य परियोजना |
| ❖ संस्कृत परियोजना के माध्यम से योग | ❖ संस्कृत माध्यम से आयुर्वेद |

1. प्रवेश के नियम व पाठ्यक्रम

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था -

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय निम्नलिखित परीक्षाओं के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता है।

परीक्षा नाम	समकक्षता
शैक्षिक पाठ्यक्रम	
1. प्राक्शास्त्री (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)	उत्तरमध्यमा/ उच्चमाध्यमिक/ इण्टरमीडियट
2. शास्त्री (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम/ 6 सत्रार्द्ध)	बी.ए.
3. शास्त्री प्रतिष्ठा (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम/ 6 सत्रार्द्ध)	बी.ए. (ऑनर्स)
4. आचार्य (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम/ 4 सत्रार्द्ध)	एम.ए.
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	
5. शिक्षाशास्त्री (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)	बी.एड्.
6. शिक्षाचार्य (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम/ 4 सत्रार्द्ध)	एम.एड्.
7. डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एकवर्षीय पाठ्यक्रम)	डिप्लोमा
शोध पाठ्यक्रम	
8. विद्यावारिधि	पी.-एच. डी.
आयु के सन्दर्भ में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के नियम अनुपालनीय होंगे।	

शैक्षिक पाठ्यक्रम

प्राक्शास्त्री

प्राक्शास्त्री में प्रवेशार्थ नियम -

1. प्राक्शास्त्री हेतु परिसर में प्रवेश के लिये मुख्यालय/संबद्ध परिसर द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें पूर्वमध्यमा परीक्षोत्तीर्ण छात्र अथवा विधिवत् स्थापित किसी बोर्ड से संस्कृत विषय लेकर सैकण्डरी या दशम कक्षा उत्तीर्ण छात्र अथवा संस्कृत विषय के बिना दशम कक्षा उत्तीर्ण छात्र तथा महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा वेदभूषण उत्तीर्ण छात्र प्राक्शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सम्मिलित हो सकते हैं।
2. यह पाठ्यक्रम दो वर्षों में सम्पन्न होता है, प्रत्येक वर्ष में 6-6 पत्र होते हैं एवं एक अनिवार्य अतिरिक्त पत्र संगणक शिक्षण का होता है।
3. छात्र की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए।

प्राक्शास्त्री प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम

प्रथम पत्र	-	व्याकरण (अनिवार्य)		
द्वितीय पत्र	-	साहित्य (अनिवार्य)		
तृतीय पत्र	-	अंग्रेजी (अनिवार्य)		
चतुर्थ पत्र	-	हिन्दी	हिन्दी ऐच्छिक	बंगला
		उडिया	नेपाली	डोगरी
		मलयालम	कन्नड	गुजराती
		मराठी	मणिपुरी	
पंचम पत्र	-	ऐच्छिक		
		राजनीति शास्त्र	अर्थशास्त्र	इतिहास
		समाजशास्त्र	गणित	भूगोल
षष्ठ पत्र	-	ऐच्छिक		
		वेद	व्याकरण	साहित्य
		ज्यौतिष	दर्शन	काश्मीरशैवदर्शन
सप्तम पत्र	-	कम्प्यूटर		

शास्त्री (बी.ए.)

शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ नियम -

शास्त्री पाठ्यक्रम हेतु परिसर में प्रवेश के लिये मुख्यालय/परिसर द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी एक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है -

1. उत्तर मध्यमा/प्राक्शास्त्री
2. मान्यता प्राप्त किसी संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत परिषद् से परम्परागत प्रणाली से उत्तीर्ण की गई इण्टरमीडिएट समकक्ष परीक्षा।
3. संस्कृत विषय सहित उच्च माध्यमिक/इण्टरमीडिएट परीक्षा।
4. महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन की वेदविभूषण परीक्षा।
5. शास्त्री पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थ चुने गये भाषा/आधुनिक विषय, उत्तरमध्यमा/ (बारहवीं कक्षा संस्कृत विषय सहित) तक पढ़े हुए होने चाहिए।
6. बारहवीं कक्षा में संस्कृत नहीं होने पर अनिवार्य रूप से प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश लिया जाएगा।
7. छात्र की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए।

शास्त्री का पाठ्यक्रम

शास्त्री परीक्षा त्रिवर्षीय वार्षिक / 6 सेमेस्टर में सम्पन्न होती है। सभी सत्रार्द्ध में 7-7 पत्र होते हैं।

प्रथम पत्र - व्याकरण / न्याय

द्वितीय पत्र - अंग्रेजी (अनिवार्य)

तृतीय पत्र (ऐच्छिक) - हिन्दी बंगला उडिया नेपाली
डोगरी मलयालम कन्नड़ मणिपुरी

चतुर्थ पत्र (ऐच्छिक) - राजनीतिशास्त्र दर्शन इतिहास अर्थशास्त्र
समाजशास्त्र हिन्दी साहित्य अंग्रेजी साहित्य

पञ्चम एवं षष्ठ पत्र (अधोलिखित में से कोई एक)

नव्यव्याकरण	प्राचीन-व्याकरण	साहित्य	सर्वदर्शन
सिद्धान्तज्यौतिष	फलितज्यौतिष	नव्यन्याय	न्याय वैशेषिक
मीमांसा	अद्वैतवेदान्त	धर्मशास्त्र	विशिष्टाद्वैतवेदान्त
सांख्ययोग	पौरोहित्य	शुक्लयजुर्वेद	काश्मीरशैवदर्शन
रामानन्दवेदान्त	जैनदर्शन	पुराणेतिहास	बौद्धदर्शन
वेद-वेदाङ्ग			

सप्तम पत्र - कम्प्यूटर

टिप्पणी - शास्त्री तृतीय वर्ष (पञ्चम व षष्ठ सत्रार्द्ध) में अष्टम पत्र पर्यावरण शिक्षा का होगा।

शास्त्री प्रतिष्ठा (बी.ए. ऑनर्स)

शास्त्री प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ नियम -

शास्त्री प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ शास्त्री पाठ्यक्रम में उल्लिखित प्रवेश नियमों का अनुपालन करना होगा।

शास्त्री प्रतिष्ठा का पाठ्यक्रम

शास्त्री प्रतिष्ठा परीक्षा 6 सेमेस्टर में सम्पन्न होती है। सभी सत्रार्द्ध में 7-7 पत्र होते हैं।

शास्त्री पाठ्यक्रम में उल्लिखित सात पत्र शास्त्री प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में भी होंगे। इसके अतिरिक्त शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष (पञ्चम व षष्ठ सत्रार्द्ध) में अष्टम पत्र पर्यावरण शिक्षा का होगा, नवम पत्र शास्त्रीय विषय (शास्त्री पाठ्यक्रम के पञ्चम एवं षष्ठ पत्र में उल्लिखित कोई एक विषय जो पंचम एवं षष्ठ पत्र में चयनित विकल्प न हो) तथा दशम पत्र प्रगत संस्कृत भाषा (Advance Sanskrit Language) का होगा।

आचार्य (एम्.ए.)

आचार्य कक्षा में प्रवेश के लिए निम्नलिखित परीक्षाये मान्य हैं :-

शास्त्री	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा अन्य कोई संस्कृत विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था।
शिरोमणि	मद्रास विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति।
विद्वद् मध्यमा	कर्नाटक सरकार, बैंगलुरु
शास्त्रभूषण	(प्रीलिमिनरी) केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम्
बी.ए. (Oriental Learning)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
बी.ए.	संस्कृत विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से।

विशेष नियम -

1. आचार्य पाठ्यक्रम में विषय चयन से पूर्व उस विषय का शास्त्री/समकक्ष तक अध्ययन अनिवार्य हैं।
2. जिन विद्यार्थियों ने बी.ए. (संस्कृत) अथवा वेदालंकार/विद्यालंकार/समकक्ष की उपाधि प्राप्त कर ली है, वे आचार्य स्तर पर साहित्य/ धर्मशास्त्र/सांख्ययोग/सर्वदर्शन/फलितज्यौतिष/कर्मकाण्ड विषय ले सकते हैं। बी.ए. (संस्कृत दर्शन सहित) उत्तीर्ण छात्र आचार्य स्तर पर अद्वैत वेदान्त भी ले सकते हैं।
3. संस्कृत में बी.ए. (आनर्स) उत्तीर्ण छात्र आचार्य स्तर पर वेद/व्याकरण/साहित्य/धर्मशास्त्र/ सांख्ययोग/ फलितज्यौतिष/सर्वदर्शन/कर्मकाण्ड इत्यादि विषय ले सकते हैं।
4. किसी एक विषय में आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण एम्.ए. (संस्कृत) छात्र, आचार्य स्तर पर, निम्नलिखित विषयों को

- छोड़कर कोई भी अन्य विषय ले सकते हैं। (वर्जित विषय) सिद्धान्त ज्योतिष, वेद, नव्यन्याय, नव्यव्याकरण, मीमांसा। लेकिन नव्य न्याय/नव्य व्याकरण आदि विषयों में आचार्य छात्र सिद्धान्त ज्योतिष, प्राचीन न्याय और व्याकरण आदि विषयों में आचार्य हेतु (तथा इसके विपरीत) प्रवेश ले सकते हैं।
5. संस्कृत में नक्षत्र विज्ञान एक विषय के रूप में पढ़े हुए छात्र आचार्य स्तर पर सिद्धान्त ज्योतिष विषय ले सकते हैं।
- टिप्पणी:-** आचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छात्र अपने आवेदन पत्र में विषयों के चयन हेतु प्राथमिकता के क्रम से विषयों का उल्लेख करेंगे।
6. आचार्य पाठ्यक्रम में कुल चार सत्रार्द्ध होंगे जिसमें प्रत्येक सत्रार्द्ध पाँच प्रश्नपत्र होंगे। प्रति सत्रार्द्ध चार प्रश्नपत्र स्वीकृत शास्त्र पर आधारित होंगे तथा पंचम पत्र सभी शास्त्र के छात्रों के लिए सामान्य होगा। प्रति प्रश्नपत्र पूर्णांक 50 हैं। प्रतिप्रश्न पत्र का समय तीन घंटे होगा। परीक्षार्थी निम्नलिखित शास्त्रविषयों में से कोई एक शास्त्र अध्ययन के लिए चुन सकता है।

अनिवार्य विषय -

नव्यव्याकरण	प्राचीनव्याकरण	साहित्य
सिद्धान्तज्योतिष	फलितज्योतिष	सर्वदर्शन
धर्मशास्त्र	जैनदर्शन	बौद्धदर्शन
सांख्ययोग	नव्यन्याय	न्यायवैशेषिक
मीमांसा	अद्वैतवेदान्त	पुराणेतिहास
वेद	पौरोहित्य	

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)

यह पाठ्यक्रम दो वर्ष (चार सत्रार्द्ध) के नियमित प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिक्षाशास्त्री उपाधि के लिए संचालित होता है।

प्रवेश के सामान्य नियम

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/समविश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शास्त्री अथवा बी.ए. संस्कृत सहित/आचार्य/एम.ए. संस्कृत अथवा समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण छात्र प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें उत्तीर्ण छात्रों को वरीयता क्रम से शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। इसके लिए नियमावली आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा अलग से प्रसारित की गई है।
2. प्रवेशार्थी की आयु परीक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दिनांक तक 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
3. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 10+2+3 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत 15 वर्ष की शिक्षा का पूर्ण होना अनिवार्य है।
4. इस पाठ्यक्रम में भारत सरकार के द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रणाली का पालन सुनिश्चित किया जाता है। परम्परागत पढ़े अर्थात् शास्त्री/आचार्य उत्तीर्ण छात्रों के लिए 80 प्रतिशत तथा आधुनिक धारा के अन्तर्गत बी.ए. (संस्कृत) सहित अथवा एम.ए. संस्कृत उत्तीर्ण छात्रों के लिए 20 प्रतिशत स्थान निर्धारित हैं। परिसरीय आरक्षण भी है यथा 20 प्रतिशत परिसर छात्र एवं 30 प्रतिशत उस क्षेत्र के छात्रों के लिये।

पाठ्यक्रम

(क) सैद्धान्तिक

सैद्धान्तिक पत्रों के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में सात प्रश्न पत्र तथा द्वितीय वर्ष में पांच प्रश्न पत्र हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का है।

(ख) प्रायोगिक :-

प्रायोगिक कार्य प्रथम वर्ष में 400 अंक एवं द्वितीय वर्ष में 400 अंक का होगा।

दो वर्षों के लिए अंकों का कुल योग - सैद्धान्तिक 1200+प्रायोगिक 800 = 2000

शिक्षाचार्य (एम.एड्)

यह पाठ्यक्रम दो वर्ष (चार सत्रार्द्ध) के नियमित प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिक्षाचार्य उपाधि के लिए संचालित होता है।

प्रवेश के सामान्य नियम

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ आचार्य/एम.ए. संस्कृत अथवा समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण तथा शिक्षाशास्त्री (बी.एड्.) परीक्षोत्तीर्ण छात्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली 'शिक्षा-आचार्य' प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें उत्तीर्ण छात्रों को वरीयता क्रम से शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। इसके लिये नियमावली आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय से अलग से प्रसारित की जाती है।
2. प्रवेशार्थी की आयु परीक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दिनांक तक 23 वर्ष होनी चाहिये।
3. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 10+2+3+2 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत 17 वर्ष की शिक्षा का पूर्ण होना अनिवार्य है एवं बी.एड्./शिक्षाशास्त्री भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
4. इस पाठ्यक्रम में भारत सरकार के द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रणाली का पालन सुनिश्चित किया जाता है। परम्परागत अध्ययन करने वाले अर्थात् आचार्य उत्तीर्ण छात्रों के लिए 80 प्रतिशत तथा आधुनिक धारा के अन्तर्गत एम.ए. संस्कृत उत्तीर्ण छात्रों के लिए 20 प्रतिशत स्थान निर्धारित हैं।

पाठ्यक्रम

(क) सैद्धान्तिक

सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय सत्रार्द्ध, प्रत्येक में तीन सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र एवं दो ऐच्छिक प्रश्न पत्र तथा तृतीय एवं चतुर्थ सत्रार्द्ध, प्रत्येक में दो सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र एवं एक ऐच्छिक पत्र निर्धारित हैं। इस तरह 16 सैद्धान्तिक पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र 100 अंक का है।

(ख) प्रायोगिक

(क)	लघुशोधनिबन्ध एवं मौखिक परीक्षा	100 (75+25)
(ख)	प्रशिक्षुता	100 (50+50)
(ग)	प्रायोगिक कार्य	200 (75+75+25+25)
	कुल योग सैद्धान्तिक 1600+प्रायोगिक 400	2000

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

- * योग एवं आयुर्वेद साहित्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम
- * वास्तुशास्त्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम

प्रवेश के सामान्य नियम

1. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को संस्कृत विषय सहित सीनियर सेकेण्डरी (+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. पठन-पाठन का माध्यम संस्कृत ही होगा।
3. चुने गए परिसरों में निर्धारित डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु 40 सीटें निर्धारित की गई हैं। उनमें से 30 सीटें पारम्परिक धारा के छात्रों के लिए और 10 सीटें आधुनिक धारा के छात्रों के लिए निर्धारित की जा सकती हैं।
4. पाठ्यक्रम 6 माह प्रत्येक के दो सत्राब्द में पूर्ण होगा।
5. पाठ्यक्रम के कोर्स में 50 अंक के 5 प्रश्नपत्र होंगे।
6. 50 अंक के प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40 अंक सैद्धान्तिक एवं 10 अंक प्रायोगिक के लिए निर्धारित होंगे।
7. योग एवं आयुर्वेद साहित्य डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 90% उपस्थिति अनिवार्य होगी।

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का शुल्क एवं अन्यविध जानकारी केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट sanskrit.nic.in पर उपलब्ध है।

अनुसन्धान पाठ्यक्रम

विद्यावारिधि (पी.-एच्.डी.)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय स्वयं अथवा अपने अन्तर्गत सभी परिसरों अथवा सम्बद्धताप्राप्त संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली शोधोपाधि को विद्यावारिधि (पी.-एच्.डी.) के नाम से अभिहित करता है।

पञ्जीकरण की अर्हता

1. वे सभी विद्यार्थी, जो संस्कृत के किसी भी विषय में आचार्य/एम.ए. (संस्कृत), तत्समकक्ष उपाधि, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसरों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हों तथा संयुक्त प्राक् शोध-परीक्षा में अर्हता क्रम में उत्तीर्ण हों, पञ्जीकरण के लिए आवेदन पत्र हेतु अर्ह होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत विषय सम्बद्ध आचार्य परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
2. विश्वविद्यालय के परिसरों एवं अन्य महाविद्यालयों/विद्यालयों के अध्यापक अनुसन्धाता जिन्होंने आचार्य अथवा एम.ए. संस्कृत परीक्षा 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है 'अध्यापक-शोधार्थी' के रूप में आवेदन कर सकते हैं। किन्तु उनका नामांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के नियमानुसार ही होगा।
3. वे सभी विदेशी विद्यार्थी जिन्होंने भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत के किसी शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ अथवा उसके समान श्रेणी में उत्तीर्ण की है, भारत-सरकार के विदेश-मन्त्रालय एवं मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के माध्यम से शोध-छात्र के रूप में प्रवेश के लिये आवेदन कर सकते हैं।

विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा

- केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय शोध पञ्जीकरण हेतु प्रत्येक वर्ष विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है।
- परीक्षा-नामांकनादि विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा विवरणका में देखी जा सकती है।

पञ्जीकरण की प्रक्रिया

विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा में वरीयता क्रम से अर्ह घोषित छात्र निश्चित अवधि तक शोधप्रारूप के साथ अपना आवेदन-पत्र शोध-निर्देशक द्वारा अग्रसारित कराकर सम्बद्ध परिसर में जमा करेगा। तत्पश्चात् परिसर की स्थानीय शोध समिति शोधार्थियों की तथा उनके द्वारा निर्धारित शोध-विषयों एवं शोध-प्रारूपों की समीक्षा करेगी। निदेशक उचित आवेदन-पत्रों को निर्धारित तिथि तक केन्द्रीय शोध-मण्डल में विचार एवं स्वीकृति हेतु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली को प्रेषित करेंगे। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के शोध विभाग द्वारा स्वीकृति के पश्चात् सम्बद्ध परिसर को निर्णय की सूचना प्राप्त होने के बाद छात्र अपना प्रवेश शुल्क जमा कर पञ्जीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेगा। परिसर के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के मुख्यालय में भी शोध कार्य किया जा सकता है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपेक्षित प्रमाणपत्र

1. पूर्व उत्तीर्ण परीक्षाओं की उत्तीर्णता के विषय में विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त प्रमाणपत्र।
2. जन्मतिथि प्रमाणपत्र (मैट्रिक या तत्समकक्ष परीक्षा का प्रमाणपत्र) जिसमें जन्म तिथि भी प्रमाणित की गई हो।
3. चरित्र प्रमाणपत्र (पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा)।
4. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (टी.सी.)।
5. निष्क्रमण प्रमाणपत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट)।

टिप्पणी - निदेशक विशेष परिस्थितियों में किसी छात्र को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं निष्क्रमण प्रमाण-पत्र बाद में प्रस्तुत करने की छूट दे सकते हैं किन्तु उचित अवधि के अन्दर इसे प्रस्तुत न करने पर छात्र का नाम निरस्त कर दिया जायेगा।

6. पूर्व परीक्षा में प्राप्त अड्कों की विषयानुसार अंक पत्र (मार्कशीट)।
7. क्रीडा एवं पाठ्येतर प्रवृत्तियों में प्रवीणता प्राप्ति का प्रमाण-पत्र (यदि हो तो)।
आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ उपयुक्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां अवश्य संलग्न करनी चाहिये। प्रवेश के समय मूल प्रमाण-पत्र मांगने पर दिखाएं। अस्पष्ट एवं असत्यापित प्रमाण पत्रादि प्रवेशार्थ स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

परिधान

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में शिक्षाशास्त्री/शिक्षाचार्य को छोड़कर शेष छात्र-छात्राओं के लिए सादे परिधान का नियम है। शिक्षाशास्त्री/शिक्षाचार्य के छात्र-छात्राओं हेतु परिधान संबंधित परिसर के विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित होगा।

2. प्रवेश निरस्तीकरण और प्रतीक्षकों का प्रवेश

जो छात्र प्रवेश स्वीकृत हो जाने पर प्रवेश सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं यथासमय पूर्ण नहीं करेंगे उनके नाम प्रवेश सूची से निरस्त कर दिये जायेंगे तथा उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में रखे गये छात्रों को वरीयता क्रम से प्रवेश दिया जायेगा। प्रतीक्षा सूची में जो छात्र प्रवेश के वरीयताक्रम में प्रवेश योग्य होंगे उन्हें भी निर्धारित समय पर प्रवेश सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रवेश लेना होगा।

विशेष सूचना -

- (क) आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रादि में कोई भी असत्य सूचना देने पर और केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यताओं में कमी होने पर आरम्भ में प्रवेश हो भी गया हो तो भी बिना कारण बताये उस छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और उसके लिए विश्वविद्यालय का कोई भी दायित्व नहीं होगा।
- (ख) इन नियमों में तथा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा इनसे पूर्व या समय-समय पर प्रकाशित या निर्दिष्ट नियमों में अन्तर होने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट नियम अन्तिम रूप से स्वीकार्य होंगे।

3. सुरक्षित धनराशि

- (क) यदि प्रवेश प्राप्त छात्र विश्वविद्यालय परिसर छोड़कर जाता है तो उसे सुरक्षित धनराशि के अतिरिक्त लिया गया कोई भी शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।
- (ख) सुरक्षित धन राशि परीक्षा फल प्रकाशित होने के बाद अथवा सत्रावसान पर ही लौटायी जायेगी। यदि कोई छात्र बीच में उक्त राशि को वापस लेगा तो उस छात्र का प्रवेश निरस्त हो जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में उस छात्र का पुनः प्रवेश नहीं होगा।

4. उपस्थिति व अवकाश नियम

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्र की नियमित उपस्थिति आवश्यक है। बिना लिखित प्रार्थना-पत्र के लगातार 10 दिन तक कक्षा में अनुपस्थिति रहने पर छात्र का नाम विश्वविद्यालय से निरस्त कर दिया जायेगा। किन्तु निदेशक अनुपस्थिति के कारणों से सन्तुष्ट होने पर पुनः प्रवेश भी कर सकेंगे। उस स्थिति में छात्र को पुनः प्रवेश शुल्क जमा कराना होगा।

प्राक् शास्त्री, शास्त्री व आचार्य परीक्षा में प्रवेशार्हता के लिये एक शिक्षासत्रार्द्ध (सत्रार्द्ध परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में) में छात्र की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थात् छात्र को एक शिक्षा सत्र/शिक्षासत्रार्द्ध में कुल व्याख्यान दिवसों का अधिकतम 25 प्रतिशत अवकाश दिया जायेगा। यह अवकाश निदेशक की पूर्व अनुमति से निम्नलिखित आधारों पर स्वीकृत होगा -

1. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर बिना चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के एक शैक्षिक सत्र में एक बार केवल 10 दिनों तक का अवकाश।
2. एक शैक्षिक सत्र में पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा छात्र की अस्वस्थता के प्रमाण-पत्र के आधार पर 20 दिनों का चिकित्सकीय अवकाश।

विशेष: उपर्युक्त दोनों प्रकार के अवकाश का लाभ पूर्ण शैक्षिक सत्र की दृष्टि से है न कि सत्रार्द्ध की दृष्टि से। यदि किसी शैक्षिक सत्र के प्रथम सत्रार्द्ध में पूर्वोक्त पूर्ण अवकाशों का लाभ प्राप्त कर लिया हो तो अग्रिम सत्रार्द्ध में यह लाभ प्राप्त नहीं होगा।

3. शिक्षाशास्त्री व शिक्षाचार्य परीक्षा में प्रवेशार्हता के लिए एक सत्रार्द्ध में सैद्धान्तिक पत्र में 80% व प्रायोगिक कार्य में 90% उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थात् विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर निदेशक द्वारा सैद्धान्तिक पत्रों में अधिकतम 20% व प्रायोगिक कार्य में अधिकतम 10% अवकाश दिया जायेगा। ऐसे छात्रों को इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी अवकाश देय नहीं होगा।

परीक्षा के सन्दर्भ में उपस्थिति में छूट

1. केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति विशेष परिस्थिति में एक शैक्षिक सत्र में एक बार उपस्थिति प्रतिशत में 5% की छूट दे सकते हैं। परन्तु इसके लिए संबद्ध परिसरों/महाविद्यालयों/आदर्श विद्यापीठों के निदेशक छूट देने हेतु वैध कारणों को दर्शाते हुए संबद्ध छात्रों के मामले कुलपति को अग्रसारित करेंगे।
2. एक परिसर से दूसरे परिसर अथवा एक महाविद्यालय से अन्य महाविद्यालय/परिसर में स्थानान्तरित होने वाले छात्रों की पिछली संस्थाओं में उपलब्ध उपस्थिति की अपेक्षित उपस्थिति की प्रतिशत गणना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। लेकिन जो छात्र पत्राचार के माध्यम से प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, वे विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गये नियमों द्वारा अनुबिन्धत होंगे।
3. उपर्युक्त सभी नियमों के लागू होने पर भी कोई छात्र जो विश्वविद्यालय से निकाला जा चुका है, अथवा निष्कासित हुआ है अथवा किसी भी एक अवधि के लिए परीक्षा के अयोग्य पाया गया है, तो इसे विश्वविद्यालय के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।
4. वांछित उपस्थिति के पूर्ण होने पर कोई छात्र बीमारी के कारण वार्षिक परीक्षा में बैठने में असमर्थ होता है तो चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणित करने पर वह अगले वर्ष की परीक्षा में पूर्वछात्र के रूप में बैठ सकता है। अगले वर्ष वह अध्ययनार्थ कक्षाओं में उपस्थित हो सकता है किन्तु वह नियमित छात्र नहीं माना जायेगा और छात्रवृत्ति का अधिकारी नहीं होगा।

विशेष: किसी एक परीक्षा में कोई भी छात्र किसी अन्य विश्वविद्यालय/केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की अन्य परीक्षा में एक ही समय में परीक्षा देने का अधिकारी नहीं होगा।

5. शुल्क विवरण

परिसर में प्रवेश स्वीकृत होने पर प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित शुल्क एवं सुरक्षित धनराशि (रुपये में) पूरे सत्र के लिए आरम्भ में ही जमा करानी होगी।

शैक्षिक पाठ्यक्रमों का शुल्क

क्र. सं.	विवरण	प्राक्शास्त्री	शास्त्री/ प्रतिष्ठाशास्त्री	आचार्य	वि.वा. (शोध)
1.	प्रवेश आवेदन पत्र	-	-	-	100
2.	प्रवेश शुल्क	125	125	125	150
3.	सुरक्षित धन पुस्तकालय	150	150	150	5000
4.	नामांकन शुल्क	30	30	30	100
5.	परिचय पत्र	50	50	50	50
6.	पत्रिका शुल्क	75	75	75	100
7.	क्रीड़ा शुल्क	100	100	100	100
8.	छात्रकोष शुल्क	400	400	400	500
9.	विविध प्रवृत्ति शुल्क	120	120	120	200
10.	कला/कृति शुल्क	50	50	50	500
11.	परीक्षा शुल्क	-	-	-	500
	योग	रु. 1100	रु. 1100	रु. 1100	रु. 6800

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का शुल्क

शिक्षाशास्त्री व शिक्षाचार्य हेतु साधारण शुल्क

क्र.सं.	विवरण	प्रथम वर्ष शुल्क रु.	द्वितीय वर्ष शुल्क रु.
1.	प्रवेश शुल्क	500	500
2.	पुस्तकालय सुरक्षित धन	500	500
3.	नामांकन शुल्क	100	100
4.	परिचय पत्र	50	50
5.	पत्रिका शुल्क	100	100
6.	क्रीड़ा शुल्क	100	100
7.	छात्रकोष शुल्क	400	400
8.	विविध प्रवृत्ति शुल्क	150	150
9.	कला/कृति शुल्क	100	100
	योग	रु. 2000	रु. 2000

शिक्षाशास्त्री विशेषछात्रकोष

क्र.सं.	विवरण	प्रथमवर्ष शुल्क रु.	द्वितीयवर्ष शुल्क रु.
1.	प्रवेश हेतु सामान्य शुल्क	2000	2000
2.	विभागीय पत्रिका	400	400
3.	शिक्षणोपकरणमंजूषा	500	500
4.	विविधप्रवृत्ति शुल्क	2000	2000
5.	संगणकीय कार्य	100	100
6.	संगोष्ठी	100	100
7.	सामूहिक छायाचित्र	-	200
8.	विशिष्ट व्याख्यान	-	300
	योग	रु. 5100	रु. 5600

शिक्षाशास्त्री शुल्क महायोग = रु. 5100+ रु. 5600 = रु. 10700/-

शिक्षाचार्य विशेषछात्रकोष

क्र.सं.	विवरण	प्रथमवर्ष (दो सत्रार्द्ध) शुल्क रु.	द्वितीयवर्ष (दो सत्रार्द्ध) शुल्क रु.
1.	प्रवेश हेतु सामान्य शुल्क	2000	2000
2.	विभागीय पत्रिका	450	450
3.	शिक्षणोपकरणमंजूषा	500	500
4.	विविधप्रवृत्ति शुल्क	2000	2000
5.	प्रशिक्षुता	500	500
6.	संगोष्ठी	400	500
7.	संगणकीय कार्य	100	200
8.	छायाचित्र	-	200
9.	विशिष्ट व्याख्यान	150	250
	योग	रु. 6100	रु. 6600

शिक्षाचार्य शुल्क योग - रु. 6100+ रु. 6600 = रु. 12700

छात्रावास शुल्क

क्र.सं.	विवरण	शुल्क
1.	प्रवेश शुल्क	300
2.	छात्रावास सुरक्षित राशि	2000
3.	विद्युत शुल्क	700
4.	रख-रखाव शुल्क अप्रत्याय	1000
	कुल	रु. 4000

छात्र-कोष

छात्रकोष का प्रबन्ध एक समिति के अधीन है। परिसर के निदेशक समिति के अध्यक्ष होंगे तथा इसमें एक अध्यापक छात्र कल्याण अधिकारी के रूप में रहेंगे। कक्षाओं में प्रवेश के समय बनी योग्यता सूची में से सभी कक्षाओं से एक-एक सर्वप्रथम स्थान प्राप्त छात्र समिति के सदस्य होंगे। छात्र कोष के मद के साथ लिया गया धन किसी बैंक में रखा जायेगा। एकाउन्ट का संचालन निदेशक एवं अनुभाग अधिकारी संयुक्त रूप से करेंगे। परिसर के अन्य धन सम्बन्धी मदों के समान छात्रकोष का भी लेखा निरीक्षण करवाया जायेगा।

6. छात्र कल्याण परिषद्

विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में नियमानुसार 'छात्र कल्याण परिषद्' कार्य करेगी। परिषद् में योग्यताक्रम से प्रत्येक कक्षा से पूर्व परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त छात्र प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होंगे।

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का प्रमुख सिद्धान्त है कि इसका आयोजन छात्रों के परस्पर सहयोग से होता है साथ ही छात्रों एवं अध्यापकों की समाज सेवा के प्रति परस्पर सहभागिता देश के विकास की दिशा में गहन अनुभूति कराएगी। एतदर्थ विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक संयोजक एवं एक सह संयोजक के नेतृत्व में एक-एक इकाई स्थापित होगी।

7. अनुशासन

प्रत्येक छात्र-छात्रा को विश्वविद्यालय परिसर के गौरव को बढ़ाने के लिए सद् आचरण से रहना होगा। पान, तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थ खाना वर्जित है। विश्वविद्यालय की सभी शैक्षणिक प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य है। परिसर के भवन, फर्नीचर आदि को कोई हानि पहुँचाये जाने पर छात्र का नाम परिसर से निरस्त किया जायेगा तथा क्षतिपूर्ति राशि छात्र से ली जायेगी।

आचार संहिता

आचार संहिता परिसर के सभी छात्र अनुशासन के समस्त नियमों का सख्ती से पालन करेंगे।

1. छात्रों को आत्मानुशासन का पालन करना चाहिए और कक्षाओं में नियमित उपस्थिति रखनी चाहिए।
2. छात्रों को किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर उन्हें यथोचित दण्ड दिया जायेगा। छात्रों द्वारा अत्यन्त गम्भीर दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर/प्रमाणित होने पर अनुशासन समिति की अनुशंसा पर छात्र को विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।
3. कोई छात्र यदि परिसर की सम्पत्ति का नुकसान करता है तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के योग्य माना जायेगा तथा नुकसान हुई सम्पत्ति की भरपाई के लिए वह जिम्मेदार होगा।
4. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिसर की गरिमा को बनाए रखेंगे। उन्हें ऐसी किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग लेने से सख्त मना किया जाता है, जो परिसर की गरिमा के विपरीत हो।
5. परिसर में स्वयं या उनके द्वारा हिंसा फैलाने, शान्ति भंग करने, अपनी बात जबर्दस्ती मनवाने का प्रयास करने पर परिसर की अनुशासन समिति उस छात्र को दण्डित कर सकती है।
7. अनुशासन समिति की अनुशंसा पर निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
8. परिसर में कालांश के समय छात्रों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग सर्वथा वर्जित है।

8. रैगिंग निषेध अधिनियम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग निषेध अधिनियम-2009 के नियम-6.3 (क) दिनांक 17 जून, 2009 के अनुसार परिसरों में रैगिंग दण्डनीय अपराध है।

रैगिंग में निम्नलिखित अपराध सम्मिलित हैं -

1. रैगिंग हेतु उकसाना।
2. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र।
3. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना।
4. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना।
5. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना।
6. शरीर को चोट पहुँचाना।
7. गलत ढंग से रोकना।
8. आपराधिक बल प्रयोग।
9. प्रहार करना, यौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध।
10. बलात् ग्रहण।
11. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना।
12. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध।
13. आपराधिक धमकी।
14. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना।
15. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना।
16. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना।
17. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध।

रैगिंग के अन्तर्गत आने वाले कार्य

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे -

- क किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आने वाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।
- ख छात्र अथवा छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।
- ग किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो सह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।

- घ वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाए।
- ङ नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।
- च नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
- छ शारीरिक शोषण को कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।
- ज मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।
- झ कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।
- ञ रैगिंग निषेध संपर्क हेतु टोल फ्री नं० - 1800-180-5522
दूरभाष संख्या - 09871170303, 09818400116 (केवल अत्यावश्यक संदर्भ में)
वेबसाइट www.antiragging.in

संस्थाध्यक्ष द्वारा रैगिंग विरोधी की जाने वाली कार्यवाही -

रैगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी व्यक्ति के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए या रैगिंग से सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अन्तर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं-

रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्यवाही -

रैगिंग निषेध अधिनियम-2009 के नियम 9.1 (ख) के अनुसार रैगिंग में संलिप्त छात्र/छात्रा के लिए निम्नलिखित दण्ड का प्रावधान है।

- 9.1 किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा :-
- क. रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।
- ख. रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।
1. कक्षा में उपस्थिति होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन।
 2. छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना।
 3. किसी टेस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थिति होने से वंचित करना।
 4. परीक्षाफल रोकना।

5. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
 6. छात्रावास से निष्कासित करना।
 7. प्रवेश रद्द करना।
 8. संस्था से 04 सत्रों तक के लिए निष्कासन करना।
 9. विश्वविद्यालय परिसर से निश्चित अवधि तक निष्कासन करना।
 10. रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भडकाने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके तो विश्वविद्यालय सामूहिक दण्ड का आश्रय लें।
- ग. रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जा सकेगी
1. किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/विद्यालय होने पर कुलपति से।
 2. विश्वविद्यालय का आदेश होने पर कुलाधिपति से।
 3. संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान होने पर उसके चेयरमेन अथवा चांसलर अथवा स्थिति के अनुसार।

9. छात्रवृत्ति

उद्देश्य:- विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रमुख उद्देश्य संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना है।

छात्रवृत्ति की पात्रता -

- (क) विश्वविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने पर विचार किया जायेगा।
- (ख) छात्रवृत्ति की अर्हता के लिए गत परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। शिक्षा-शास्त्री में प्रविष्ट छात्रों के गत परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक होने चाहिये।
- (ग) छात्रवृत्ति वरीयता क्रम से दी जायेगी। जिन छात्रों को पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति स्वीकृत हो गई है उनके लिए पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष तक छात्रवृत्ति चालू रहेगी, यदि वे प्रत्येक वर्ष में उत्तीर्ण होते हुए योग्यता क्रम में आयेंगे। जो छात्र किसी विषय या प्रश्न पत्र में प्रोन्नत किये जाते हैं या पूरक परीक्षा के लिए रह गये हैं, उनके शेष वर्षों में उनको छात्रवृत्ति देने पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (घ) छात्रवृत्तियाँ शेष हों तो द्वितीय या तृतीय वर्ष के योग्यता क्रम में आने वाले उन छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जा सकती है जिनको पूर्व वर्ष या वर्षों में छात्रवृत्ति नहीं मिली हो।

छात्रवृत्तियों की संख्या

विश्वविद्यालय के बजट में प्रावधान होने एवं पाठ्यक्रमों के चलते रहने पर प्रतिवर्ष निम्नलिखित छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध होंगी -

(क)	प्राक्-शास्त्री	निर्धारित स्थानों में से 60 प्रतिशत छात्रों को
(ख)	शास्त्री/शास्त्री ऑनर्स	निर्धारित स्थानों में से 60 प्रतिशत छात्रों को
(ग)	शिक्षाशास्त्री	निर्धारित स्थानों में से 60 प्रतिशत छात्रों को
(घ)	आचार्य	निर्धारित स्थानों में से 60 प्रतिशत छात्रों को
(ङ)	शिक्षाचार्य	निर्धारित स्थानों में से 60 प्रतिशत छात्रों को
(च)	विद्यावारिधि	30 छात्रवृत्तियाँ प्रत्येक वर्ष

छात्रवृत्ति प्रदान करने के नियम

- (क) छात्रवृत्ति छात्र की शैक्षणिक प्रगति, अच्छे आचरण एवं नियमित उपस्थिति पर निर्भर करेगी।
- (ख) वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही छात्रवृत्ति दी जायेगी।
- (ग) प्रत्येक वर्ष या पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के लिए नवीन चुनाव किया जायेगा। छात्रवृत्ति पाने वाले जिन छात्रों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है या किसी खण्ड में उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनको अग्रिम वर्ष या पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति योग्यता क्रम से दी जायेगी।
- (घ) इन नियमों के अन्तर्गत किसी भी छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र को किसी अन्य स्थान से छात्रवृत्ति वेतन या पारिश्रमिक पाने की छूट नहीं होगी। इस तरह की किसी भी वृत्ति प्राप्त करने की स्थिति में विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त करने से पूर्व उसे वह वृत्ति छोड़नी होगी और यदि कोई धन प्राप्त किया हो तो वह वापस करना होगा। वर्ष भर में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि के बराबर से कम तक कोई छात्र नकद या किसी अन्य रूप में आकस्मिक पुरस्कार प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति पाने के अयोग्य नहीं होगा। इसी प्रकार छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त निःशुल्क शिक्षा, स्वाध्याय हेतु छात्रवास, पुस्तकें एवं यातायात सुविधा (छूट) प्राप्त करने की अनुमति भी होगी।

छात्रवृत्ति की राशि

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति की राशि (मासिक) निम्नलिखित है -

1.	प्राक्-शास्त्री	600 रु.
2.	शास्त्री	800 रु.
3.	शिक्षाशास्त्री	800 रु.
4.	आचार्य	1000 रु.
5.	शिक्षाचार्य	1000 रु.
6.	विद्यावारिधि	8000 रु. एवं प्रतिवर्ष 8000 रु. सांयोगिक राशि।

टिप्पणी:- सांयोगिक धनराशि शोध छात्र द्वारा प्रस्तुत व्यय-विवरण के आधार पर प्रदान की जायेगी। शोधच्छात्र यह धनराशि पुस्तक-क्रय, शोध-सम्बन्धी यात्रा, लेखन तथा टंकण सम्बन्धी कार्यों में व्यय कर सकता है।

छात्रवृत्ति की राशि को विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय कम या अधिक किया जा सकता है।

छात्रवृत्ति की प्राप्ति और उसको जारी रखने के लिए प्रत्येक कक्षा में नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति और विश्वविद्यालय के अनुशासन का सर्वथा पालन अनिवार्य है। किसी भी अध्यापक या कर्मचारी द्वारा छात्र के विरुद्ध अनुशासनहीनता की शिकायत प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति स्थगित या निरस्त की जा सकेगी।

छात्रवृत्ति के लिए चयन की प्रक्रिया

जिस कक्षा में छात्र ने प्रवेश लिया है, उसमें छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्र को निर्धारित आवेदन पत्र भर कर निदेशक की सेवा में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्रों की जांच के बाद, छात्रवृत्ति नियमों के आधार पर योग्यता क्रम से निदेशक छात्रवृत्ति स्वीकृत करेंगे।

अवधि -

- (क) सामान्यतया छात्रवृत्ति की अवधि एक सत्र में 10 माह की होगी।
- (ख) शोध छात्रवृत्ति सामान्यतः दो वर्ष (24 माह) के लिए होगी।
- (ग) छात्रवृत्ति की अर्हता होने पर छात्रवृत्ति की अवधि पाठ्यक्रम के प्रथम या द्वितीय वर्ष (जैसी परिस्थिति हो) की पूर्व से लेकर अन्तिम तक होगी।
- (घ) जो छात्रवृत्ति एक बार निरस्त कर दी जायेगी, वह केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की पूर्व स्वीकृति के बिना पुनः प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
- (ङ) उत्तम आचरण तथा नियमित उपस्थिति छात्रवृत्ति को जारी रखने की प्राथमिक शर्तें हैं। किसी मास में किसी कक्षा तथा प्रश्न पत्र में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र को तब तक छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी, जब तक वह उपस्थिति की कमी को पूर्ण कर 75 प्रतिशत तक उपस्थिति नहीं कर लेता। छात्र की उपस्थिति पूर्ण होने पर भी 30 दिन से अधिक निरन्तर अनुपस्थिति पर उस अवधि की छात्रवृत्ति निरस्त हो जायेगी। ऐसे छात्र को 10 माह की अवधि में से अनुपस्थिति के समय को काटकर शेष समय की छात्रवृत्ति का ही भुगतान किया जायेगा।

भुगतान

छात्रवृत्ति का भुगतान विश्वविद्यालय से वित्तीय स्वीकृति और राशि मिलने पर ही किया जा सकेगा। सामान्यतः उपस्थितियों के आधार पर छात्रवृत्ति समिति की अनुशंसा पर छात्रवृत्ति के भुगतान का आदेश प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में विश्वविद्यालय परिसर के निदेशक द्वारा किया जायेगा। प्रवेश या वास्तविक उपस्थिति की तिथि से जो तिथि बाद में होगी, उसी तिथि से छात्रवृत्ति प्रारम्भ होगी।

शोध-छात्रवृत्ति

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष अपने प्रत्येक परिसरों में कुल मिलाकर 30 शोधच्छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय किसी परिसर की विशेष परिस्थिति के आधार पर आवश्यकतानुसार विशेषाधिकार से छात्रवृत्ति की संख्या में परिवर्तन भी कर सकते हैं। आचार्य/एम.ए. (संस्कृत) में 60 प्रतिशत परिणाम की वरीयता-क्रम-सूची के आधार पर विश्वविद्यालय एवं प्रत्येक परिसर के हर एक विभाग में प्रथमतः एक-एक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इस सम्बन्ध में कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

छात्रवृत्ति की अवधि-

शोध छात्रवृत्ति की अवधि 24 माह के लिए निश्चित होगी। किन्तु मार्गनिर्देशक एवं स्थानीय-शोध-समिति की अनुशंसा पर यह छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त 12 माह के लिए बढ़ायी जा सकती है।

छात्रवृत्ति भुगतान -

छात्र के पंजीकरण के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय की संस्तुति पर परिसरों के माध्यम से छात्रवृत्ति आरम्भ की जायेगी। इस अवधि में विश्वविद्यालय से छात्रवृत्तिप्राप्त शोध-छात्र किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति/वेतन प्राप्त नहीं कर सकेगा। अन्यथा उसे अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा छात्र का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में छात्र को परिसर से प्राप्त की गई समस्त छात्रवृत्ति भी वापस करनी होगी। परिसर की अनुशासनमिति अनुचित आचरण करने वाले छात्र के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही कर विश्वविद्यालय से उसकी छात्रवृत्ति समाप्त कर सकती है। अनुशासनहीनता की पुनरावृत्ति होने पर शोधच्छात्र का पंजीकरण भी स्थानीय शोधसमिति की अनुशंसा पर निरस्त किया जा सकता है।

12. छात्रों को प्रदेय सुविधाएं

रेलवे रियायती यात्रा की सुविधा

परिसर में पंजीकृत समस्त छात्रों को पूजावकाश, शीतावकाश एवं ग्रीष्मावकाश के अवसर पर अपने गृहनगर जाने तथा परिसर वापस आने के लिए रेलवे द्वारा किराये में छूट दी जाती है। ग्रीष्मावकाश में अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को केवल घर जाने की सुविधा दी जायेगी। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए छात्र द्वारा आवेदन करने पर कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रपत्र निर्गत किये जाते हैं। यात्रा आरम्भ से एक सप्ताह पहले आवेदनपत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

अवधेय है कि रेलवे के नियमानुसार यह छूट केवल 25 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को ही उपलब्ध है किन्तु शोध छात्र के लिए अवकाश अथवा गृहनगर का बन्धन नहीं है। वे अपने शोध निर्देशक की संस्तुति पर शोध कार्य करने के लिए किसी भी समय भारत के किसी भी नगर की रेलवे छूट पर यात्रा कर सकते हैं।

ग्रन्थालय सुविधा

विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में सुसमृद्ध तथा विशाल ग्रन्थालयों की सुविधा विद्यमान है। इनमें प्राच्य विद्या तथा संस्कृत शास्त्रों के दुर्लभ ग्रन्थ उपलब्ध हैं। नियमित रूप से जर्नल तथा पत्रिकाएँ इनमें आती रहती हैं। विश्वविद्यालय के सभी परिसरों को निर्धारित पुस्तकालय नियमों का पालन करना होगा जिन्हे सभी परिसर अपने-अपने पुस्तकालय में प्रदर्शित करेंगे।

प्रयोगशाला सुविधा

विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में प्रयोगशालाओं की सुविधा है। प्रमुख रूप से कम्प्यूटर प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, शैक्षणिक तकनीकी प्रयोगशाला, कार्यानुभव प्रयोगशाला तथा भाषा शिक्षण प्रयोगशाला इत्यादि प्रयोगशालाएँ प्रायः सभी परिसरों में उपलब्ध है। विश्वविद्यालय के सभी परिसरों को निर्धारित प्रयोगशाला नियमों का पालन करना होगा जिन्हे सभी परिसर अपने-अपने प्रयोगशाला में प्रदर्शित करेंगे।

व्यायामशाला सुविधा

विश्वविद्यालय के अधिकांश परिसरों में छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायामशाला (जिम) की सुविधा है, जहाँ आधुनिक व्यायाम यन्त्रों, डम्बल एवं वेटप्लेट इत्यादि के द्वारा छात्र प्रातः एवं सायंकाल निश्चित समयानुसार शारीरिक अभ्यास करते हैं। विश्वविद्यालय के सभी परिसरों को निर्धारित व्यायामशाला नियमों का पालन करना होगा जिन्हे सभी परिसर अपने-अपने व्यायामशाला में प्रदर्शित करेंगे।

13. छात्रावास

विश्वविद्यालय के प्रायः सभी परिसरों में पुरुष एवं महिला छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। विश्वविद्यालय के सभी परिसरों को निर्धारित छात्रावास नियमों का पालन करना होगा जिन्हे सभी परिसर अपने-अपने छात्रावास में प्रदर्शित करेंगे।

14. परिसर की समितिया

विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में वार्षिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित एवं सुचारु रूप से संचालन हेतु प्रमुखतः निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इनके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार परिसर द्वारा कुछ उपसमितियों का गठन भी किया जा सकता है।

1. प्रवेश समिति
2. अनुशासन समिति
3. छात्रावास समिति
4. पुस्तकालय समिति

5. शैक्षिक समिति
6. सांस्कृतिक, शास्त्रीय एवं कला समिति
7. छात्रवृत्ति समिति
8. परीक्षा समिति
9. पत्रिका प्रकाशन समिति
10. रैगिंग निषेध समिति
11. अध्यापक-अभिभावक परामर्श समिति
12. योजना, परियोजना एवं विकास समिति
13. क्रय-विक्रय, नीलामी, प्रिंटिंग एवं फोटोग्राफी समिति
14. सत्यापन समिति (पुस्तक, स्टोर, फर्नीचर एवं स्टेशनरी आदि)
15. निःशक्तजन सहायता प्रकोष्ठ
16. महिला उत्पीड़न निषेध समिति
17. व्यक्तित्व संवर्धन, रोजगार तथा नियोजन परामर्श समिति
18. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ
19. स्थानीय शोध समिति
20. राष्ट्रीय सेवा योजना समिति
21. प्रेस प्रिंटिंग, विज्ञापन, सूचना प्रसारण एवं जनसम्पर्क समिति
22. पारदर्शिता एवं जागरूकता निष्पादन समिति
23. छात्र कल्याण कोष समिति
24. क्रीडा समिति
25. छात्र परामर्श केन्द्र
26. नियोजन प्रकोष्ठ
27. शिकायत निवारण समिति
28. मार्गदर्शन समिति
29. डिजिटल लर्निंग एवं निरीक्षण प्रकोष्ठ
30. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
31. अन्य पिछडा वर्ग प्रकोष्ठ

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर

1. गङ्गानाथ झा परिसर, प्रयाग (उत्तरप्रदेश)

प्रकाशन :

- ❖ उशती - वार्षिक पत्रिका
- ❖ जर्नल ऑफ गंगानाथ झा परिसर

विशिष्ट उपक्रम :

- पाण्डुलिपि संग्रहालय
- माइक्रोफिल्म का डिजिटलईजेशन
- संस्कृत के दुर्लभ मातृकाओं/ग्रन्थों का सम्पादन/प्रकाशन/अनुवाद
- विशिष्ट कार्य (क) पाण्डुलिपि संग्रहण, (ख) संरक्षण-सूचीकरण, (ग) स्कैनिंग

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

गंगानाथ झा परिसर

चन्द्रशेखर आजाद पार्क, इलाहाबाद-211001, (उत्तर प्रदेश)

दूरभाष 0532-2460957, फैक्स नं. 0532-2460956

email : principal.alld@gmail.com || website : www.gnjhacampusrsk.org

2. श्रीरणवीर परिसर जम्मू (जम्मू-कश्मीर)

❖ छात्रावास

- महिला छात्रावास
- पुरुष छात्रावास
- भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)

❖ व्यायामशाला

- ❖ श्री वैष्णवी - वार्षिक पत्रिका
- ❖ शिक्षामृतम् - शिक्षाविभाग की वार्षिक पत्रिका
- ❖ काश्मीरशैवदर्शन परियोजना
- ❖ वेधशाला

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

श्री रणवीर परिसर

कोट भलवाल, जम्मू-181122, जम्मू व कश्मीर

फोन नं. 0191-2623090, 2623533, टेलीफैक्स : 0191-2623090

email : ranbirjmu@gmail.com || website : www.rsksjmu.ac.in

3. श्रीसदाशिवपरिसर, पुरी (उडीसा)

- ❖ छात्रावास
 - महिला छात्रावास -
 - भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)
- पुरुष छात्रावास -
- ❖ ज्योतिष प्रयोगशाला
- ❖ पौर्णमासी - वार्षिकी पत्रिका
- ❖ सदाशिवसन्देश - त्रैमासिकी वार्तापत्रिका
- ❖ समस्त विभागों की विभागीय पत्रिकाएँ

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

श्री सदाशिव परिसर

चन्दन हजुरी रोड, पुरी-752001, उडीसा

फोन नं. : 06752-223439

email : principalpuri2009@gmail.com,

website : www.rskspuri.ac.in

4. गुरुवायूर परिसर, त्रिशूर (केरल)

- ❖ छात्रावास
 - महिला छात्रावास -
 - भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)
- पुरुष छात्रावास -
- ❖ व्यायामशाला - दोनों छात्रावासों में
- ❖ गुरुदीपिका - वार्षिक पत्रिका
- ❖ निबन्धमाला - वार्षिक शोधपत्रिका
- ❖ व्याकरण व साहित्य विभागों की वार्षिक पत्रिकायें
- ❖ पी.टी. कुरियाकोस मास्टर अन्तर्राष्ट्रीय व्याख्यानमाला
- ❖ विक्रय प्रकोष्ठ - अभिभावक-शिक्षकपरिषद् के सौजन्य से

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

गुरुवायूर परिसर,

पो. पुरनाटुक्करा, त्रिशूर-68051, केरल

दूरभाष नं.: 0487-2307208, टेलीफैक्स : 0487-2307608

email : rss.guruvayoor@gmail.com

website : sanskritguruvayoor.org

5. जयपुरपरिसर, जयपुर (राजस्थान)

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|--|
| ❖ छात्रावास | ➤ महिला छात्रावास | ➤ पुरुष छात्रावास | ➤ भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में) |
| ❖ व्यायामशाला | | ❖ ज्योतिष प्रयोगशाला | |
| ❖ जयन्ती - वार्षिक पत्रिका | | ❖ शिक्षासन्देश: - शिक्षाविभागीय वार्षिक पत्रिका | |
| ❖ प्राकृत अध्ययन एवं शोध केन्द्र | | ❖ राष्ट्रीय सेवा योजना | |
| ❖ योग शिविर | | ❖ योग एवं आयुर्वेद साहित्य डिप्लोमा | |
| ❖ ज्योतिष एवं वास्तु परिचय पाठ्यक्रम | | ❖ टेनिस कोर्ट, बैडमिण्टन कोर्ट | |

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

जयपुर परिसर

त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर-302018, राजस्थान

दूरभाष नं.: 0141-2761115 (का.)

0141-2761236 (प्रा.) 0141-2760686

email : principaljp.in@gmail.com

Website : www.rsksjaipur.ac.in

6. लखनऊ परिसर, लखनऊ (उत्तरप्रदेश)

- | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|
| ❖ छात्रावास | ➤ महिला छात्रावास - | ➤ पुरुष छात्रावास - |
| ❖ व्यायामशाला | | |
| ❖ गोमती - वार्षिक पत्रिका | ❖ ज्ञानायनी - त्रैमासिक शोधपत्रिका | |
| ❖ साहित्य समाख्या - साहित्य | ❖ भास्करोदय- वार्षिक ज्योतिष | |
| ❖ श्री जगन्नाथपञ्चाङ्गम् | ❖ पालि अध्ययन व शोध केन्द्र | |
| ❖ षाण्मासिक प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम-पालि, प्राकृत एवं भोट (तिब्बती) भाषाओं हेतु | | |
| ❖ पालि-प्राकृत-अनुशीलनम् - षाण्मासिकी शोध पत्रिका | | |
| ❖ ज्योतिष परिचय पाठ्यक्रम | | |

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

लखनऊ परिसर,

विशालखण्ड-4, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)

फोन नं. 0522-2393748, 0522-2304724, फैक्स नं. 0522-2302993

email : rskslucknow@yahoo.com

website : rskslucknowcampus.org

7. राजीवगान्धीपरिसर, शृङ्गेरी (कर्णाटक)

- ❖ छात्रावास ➤ 'शारदा' महिला छात्रावास - ➤ 'ऋष्यशृङ्ग' पुरुष छात्रावास -
 शारदा प्रसाद व्यवस्था - सभी छात्र-छात्राओं हेतु श्री भारतीतीर्थ महास्वामी जी के अनुग्रह से प्रतिदिन व्यवस्था।
- | | |
|---|--|
| ❖ वज्रिणी व्यायामशाला | ❖ शारदा - वार्षिक पत्रिका |
| ❖ श्री राजीवगान्धी इण्टरनेशनल मेमोरियल लेक्चर | ❖ श्री श्री भारतीतीर्थ महास्वामी शास्त्रार्थ सभा |
| ❖ वाक्यार्थ परिषद् | ❖ वाग्वर्धिनी परिषद् |
| ❖ स्पर्धिष्णुपरिषद् | ❖ श्री शारदा विशिष्टव्याख्यानमाला |

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

राजीव गाँधी परिसर,

मेणसे, शृङ्गेरी-577139, चिक्कमलगूर (कर्णाटक)

फोन नं. 08265-250258, फैक्स नं. 08265-251763, 08265-251616 (आर.)

email : principal_rgc@hotmail.com

website : www.sringericampus.ac.in

8. वेदव्यास परिसर, बलाहार (हिमाचलप्रदेश)

- ❖ छात्रावास ➤ महिला छात्रावास - ➤ पुरुष छात्रावास -
- | | |
|---|---|
| ❖ परिसरीय बस व्यवस्था | ❖ राष्ट्रिय सेवा योजना (एन.एस.एस.) |
| ❖ वेदविपाशा - वार्षिक पत्रिका | ❖ व्यासवाणी-षाण्मासिक परिसरसमाचार पत्रिका |
| ❖ प्राची प्रज्ञा - आनलाईन संस्कृत पत्रिका | ❖ महिला अध्ययनकेन्द्र |
| ❖ ज्योतिष परियोजना | |
| ❖ विभिन्न परिषद/क्लब - वाग्वर्धिनी परिषद, सभी शास्त्रीय परिषदें, संस्कृत प्रचार मंच, छात्र परामर्श केन्द्र, पर्यावरण क्लब, मीडिया क्लब, स्वास्थ्य क्लब, कलारंजनी। | |

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

श्रीवेदव्यास परिसर

गरली, बलाहार, काँगड़ा - 177108, (हिमाचल प्रदेश)

दूरभाष/फैक्स 01970-245409

email : principal.garli@gmail.com

website : rsksbalahar.ac.in

9. भोपाल परिसर, भोपाल (मध्य प्रदेश)

छात्रावास	➤ 'दाक्षी' महिला छात्रावास	➤ 'कविभास्कर' पुरुष छात्रावास
❖ भूवभूति प्रेक्षागार		❖ भरतरङ्खमण्डप-मुक्ताकाशमञ्च
❖ हरिवासम्-कर्मचारी आवास		❖ सुदामा अतिथि निवास
❖ व्यायामशाला		❖ राष्ट्री - वार्षिकपत्रिका
❖ शास्त्रमीमांसा - शोधपत्रिका		❖ भोजराजपञ्चाङ्ग
❖ विभागीयपत्रिका - 6		
1. व्याकरणमीमांसा - व्याकरण		2. साहित्यमीमांसा - साहित्य
3. ज्योतिषमीमांसा - ज्योतिष		4. शैक्षिकप्रबन्धनस्य विविधायामाः - शिक्षाशास्त्र
5. जैनदर्शनमीमांसा - जैनदर्शन		6. मीमांसीका - आधुनिकविषय
❖ नाट्यशास्त्र केन्द्र		❖ संस्कृतशिक्षानुसन्धान सर्वेक्षण परियोजना

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

भोपाल परिसर,

संस्कृत मार्ग, बागसेवनिया, भोपाल-462043 (म.प्र.)

दूरभाष 0755-2418043, फैक्स नं. 0755-2418003

email : rsksbhopal@yahoo.com

website : rsksbhopal.ac.in

10. क.जे.सोमैया परिसर, मुम्बई (महाराष्ट्र)

❖ छात्रावास	➤ परिसर द्वारा महिला व पुरुष छात्रावास	
❖ विद्यारश्मि: विद्यापीठ वार्षिक शोध पत्रिका		❖ विद्याश्री: - विद्यापीठ वार्षिक पत्रिका
❖ वाग्वैब्रह्म-व्याकरण विभागीय वार्षिक पत्रिका		❖ काव्यलतिका- साहित्य विभागीय वार्षिक पत्रिका
❖ शिक्षारश्मि:- शिक्षाशास्त्र विभागीय वार्षिक पत्रिका		❖ ज्योतिषरश्मि: -ज्योतिष विभागीय वार्षिक पत्रिका
❖ वैभाषिकी - आधुनिक विषय विभागीय वार्षिक पत्रिका		

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

क. जे. सोमैया परिसर,

सुरुचि भवन, प्रथम तल, विद्याविहार (पू.), मुम्बई - 400 077, (महाराष्ट्रम्)

दूरभाष 022-21025452/82,

email : rsksmumbai@yahoo.co

Website: www.rsksmumbai.in

11. एकलव्य परिसर, अगरतला (त्रिपुरा)

- ❖ छात्रावास
 - महिला छात्रावास
 - पुरुष छात्रावास
- ❖ व्यायामशाला
- ❖ एकलव्या- शोधपत्रिका
- ❖ व्याकरण परियोजना
- ❖ ई. ग्रन्थालयपरियोजना
- ❖ शैक्षिकपत्रिका- शोधपत्रिका शिक्षाशास्त्रविभागस्य
- ❖ ज्योतिषपरियोजना
- ❖ ई. टेक्स्ट-परियोजना

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

एकलव्य परिसर

ओल्ड आई.ए.एस.ई. बिल्डिंग, निकट बुद्धमन्दिर, राधानगर बस स्टैण्ड,

अगरतला - 799 006 (त्रिपुरा)

दूरभाष 0381-2907855 फैक्स नं. 0381-2907859

email : eklavyacampus.rsks@gmail.com

Website : www.ekalavyacampusrsks.in

12. श्रीरघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग (उत्तराखण्ड)

- ❖ छात्रावास
 - महिला छात्रावास
 - पुरुष छात्रावास

भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)
- ❖ शैक्षिकपत्रिका - रघुनाथकीर्तिपताका
- ❖ त्रैमासिक वार्तापत्रिका - रघुनाथवार्तावली
- ❖ वार्षिक शोधपत्रिका - देवभूमि सौरभम्

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

श्रीरघुनाथकीर्ति परिसर,

देवप्रयाग, पौडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड - 249 301

दूरभाष 09412949976

email : raghunathkirticampus.rsks@gmail.com

Website : www.srkcampus.org

परिचायिका PROSPECTUS

2021-22



केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली - ५८
(संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित)
Central Sanskrit University, Delhi - 58
(Established by An act of Parliament)

प्रकाशक
कुलसचिव
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
56-57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी
नई दिल्ली-110058

Publisher
REGISTRAR
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area, Janakpuri
NEW DELHI-110058

Website : www.sanskrit.nic.in
© Central Sanskrit University, New Delhi

Printer

शान्तिपाठः

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः

वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः।

शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥

यतो यतः समीहसे ततो नो अभयङ्कुरु।

शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः॥

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभागभवेत्॥

सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।

तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

PRAYER FOR PEACE

Peace to the space, peace to the earth, peace to all medicinal plants.

Peace to the vegetation, peace to all gods of the world, peace to the

creator of the universe, Peace to everything,

may the same peace come to me as well.

May we be fearless of all that threatens us.

Bless all the people and all our cattle with Your beneficence.

May all be comfortable, may all be healthy,

May all see good things in life,

may nobody see misfortune in his life.

May we stay together, eat together,

do great deeds together.

May we be glorious,

may there be no dissensions amongst us.

May there be peace, and peace, and peace, to the whole universe.

THE LOGO



The Central Sanskrit University Logo comprises of a square, surrounded by three red, white and black pillars - symbolizing the three natures of the universe, namely, sattva, rajas and tamas. Within the black square, the red and white squares indicate the pure and royal nature of the Sanskrit University. The motto on the top - योऽनूचानः स नो महान्¹ - symbolizes all the branches of Vaidic learning. The wavy red, white and black lines, representing the three-fold nature, on the left hand side of the pattern, indicate agitated nature when it joins with the Brahman. This a representation of the Sanskrit University actively engaged in the promotion and propagation of Sanskrit. The wavy red, white and black lines returning downwards on the right-hand side symbolize the desire of the seeker to return to the Brahman. The sun-facing flower at the centre indicates the truth-oriented nature of the Central Sanskrit University. The couple of leaves at the base of the flower implies the twin religious elements of upward progress and beneficence. At the epicenter of the flower, the letters CSU (Central Sanskrit University) symbolises a semi-bloomed lotus which is a sign of undeveloped to developed state of being.

1 न हायनेर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः।
 ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान्॥ (महाभारत-शल्यपर्व 50.40)
 (One is great, not because of one's age, or silvery locks, or vast riches or large number of influential contacts (relatives), but because of the knowledge one has received from the Rishis.)

VISION

Development of Central Sanskrit University as a world-class university for establishment of the glory of Sanskrit learning in the global context.

MISSION

All-round development of all the branches of Sanskrit learning and availability of Sanskrit resources through modern systems.

Upliftment of linguistic diversity and cultural plurality while arranging for teaching and research in Sanskrit, Pali and Prakrit in the context of their mutual cultural inter-relationship.

Preservation and upliftment of the philosophical and scientific elements in the knowledge systems of these languages and ensuring their availability through the equipments of information and communication technology while establishing the relationship of these knowledge systems with cultural legacy.

INDEX

	Subject	Page No.
	Prayer for Peace	03
	The Logo	04
	Vision and Mission	04
CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY		
1.	Introduction	08
2.	Objectives	08
3.	Main Functions	09
GENERAL RULES CONCERNING ADMISSION & COURSES OF STUDIES		
1.	Admission Rules and Courses of Studies	10
2.	Cancellation of Admission and Admission of Waitlisted Candidates	19
3.	Caution Money	20
4.	Attendance & Leave Rules	20
5.	Fees	22
6.	Student Welfare Council	25
7.	Discipline	25
8.	Anti-ragging Regulation	26
9.	Scholarship	28
10.	Facilities for the students	31
11.	Hostel	32
12.	Campus Committees	32
CAMPUSES OF THE CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY		
1.	Ganga Nath Jha Campus, Prayagaraj (Uttar Pradesh)	34
2.	Shri Ranbir Campus, Jammu (Jammu and Kashmir)	34

3.	Shri Sadashiv Campus, Puri (Odisha)	35
4.	Guruvayur Campus, Trisshur (Kerala)	35
5.	Jaipur Campus, Jaipur (Rajasthan)	36
6.	Lucknow Campus, Lucknow (Uttar Pradesh)	36
7.	Rajeev Gandhi Campus, Shringeri (Karnataka)	37
8.	Ved Vyas Campus, Balahar, Kangra (Himachal Pradesh)	37
9.	Bhopal Campus, Bhopal (Madhya Pradesh)	38
10.	K.J. Somaiyya Campus, Mumbai (Maharashtra)	38
11.	Ekalavya Campus, Agartala (Tripura)	39
12.	Shri Raghunathkeerti Campus, Devaprayag (Uttarakhand)	39

IMPORTANT NOTICE

- ❖ The Vice Chancellor, Central Sanskrit University, New Delhi, reserves the right to amend/expand or cancel any of the rules mentioned in this book.
- ❖ In case of any uncertainty, the decision of the Vice Chancellor, Central Sanskrit University (Headquarter) shall be final.
- ❖ All legal disputes shall be subject to the jurisdiction of the courts at New Delhi.

CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY, DELHI

1. INTRODUCTION

Rashtriya Sanskrit Sansthan was established in October, 1970, as an autonomous body under the Societies Registration Act 1860 (Act XXI of 1860) for the promotion and propagation of Sanskrit in the country. Since its inception, it has been wholly funded by the Government of India. It has been working as the leading organization engaged in promotion, propagation and development of Sanskrit and helps the Ministry of Human Resource Development in preparation and implementation of various schemes and programmes for the development of Sanskrit learning. It has been functioning as a central nodal agency for the effective implementation of the various recommendations made by the Sanskrit Commission which was established in 1956 by the Department of Education, Government of India, for preservation, promotion and development of Sanskrit.

Recognizing its contribution in the field of promotion and propagation of traditional Sanskrit learning and teaching, its excellent publications, and its effective efforts in preservation and management of more than 58,000 rare Sanskrit manuscripts, the Government of India bestowed the status of Deemed University on Rashtriya Sanskrit Sansthan on May 7, 2002 under Notification Number F.9-28/2000 U 3 and followed by the UGC Notification Number F-6-31/2001 (CPP-1) dated 13th June, 2002.

The institute played a leading role in the field of Sanskrit education in the last decades. Consequently, the Government of India approved the Rashtriya Sanskrit Sansthan as the Central Sanskrit University as per the Government of India Gazette No. CG-DL-A-17042020-219068 dated 17th April 2020. Accordingly, the Rashtriya Sanskrit Sansthan is established as Central Sanskrit University from April 30, 2020.

2. THE OBJECTIVES OF THE UNIVERSITY

The objectives of the University shall be to disseminate and advance knowledge by providing instructional, research and expansion facilities to the promotion of Sanskrit Language and such other branches of learning as it may deem fit; to make special provisions for integrated courses in humanities, social sciences and science in its educational Government; to take appropriate measures for promoting innovations in teaching-learning process and inter-disciplinary studies and research; to educate and train manpower for the overall development, promotion, preservation and research in the field of Sanskrit and Sanskrit traditional subjects.

3. MAIN FUNCTIONS

To achieve its objectives, the Rashriya Sanskrit Sansthan performs the following functions and activities:-

- ❖ Establishing a Campus in the various states of India.
- ❖ Traditional Sanskrit teaching at secondary, undergraduate, graduate and post-graduate levels and conducting and co-ordinating research work in various field of Sanskrit learning for the award of Ph.D. degrees.
- ❖ Teacher training at Shikshashastri(B.Ed.) and Shikshacharya (M.Ed.) levels.
- ❖ Co-operation with other organizations in sponsoring joint projects of inter-disciplinary nature.
- ❖ Establishing Sanskrit libraries and manuscript museums and editing and publication of rare manuscripts.
- ❖ To award degrees, diplomas and certificates to those who pass the various examinations after satisfactory completion of prescribed courses & research work.
- ❖ To establish and award visitorships, fellowships, scholarships, prizes and medals.
- ❖ To conduct distance learning programmes through Muktaswadhyapeetham.
- ❖ To implement schemes of Ministry of Human Resource Development for promotion of Sanskrit, Pali and Prakrit.

VISION And ROAD MAP

For the Development of Sanskrit in Ashtaadashi - Projects

- | | |
|---|---|
| ❖ Knowledge Texts' Translation Project | ❖ Editing & Publishing of Manuscripts Project |
| ❖ Digital & Online Resources Project | ❖ Summer Course Project |
| ❖ Contemporary Literature Project | ❖ Evening School Project |
| ❖ Technology Adaptation Project | ❖ Computer Education Project |
| ❖ Biennial Sanskrit Book Fair Project | ❖ Outreach Programs Project |
| ❖ Shabdashala Project | |
| ❖ Reprinting of Rare Books Project | ❖ Residential Training Project |
| ❖ Integrating Sanskrit with Modern Subjects Project | ❖ Support Internship Project |
| ❖ Yoga through Sanskrit Project | ❖ Children's Literature Project |
| | ❖ Ayurveda through Sanskrit. |

1. ADMISSION RULES & COURSES OF STUDIES

Teaching activity in the Central Sanskrit University :-

The Central Sanskrit University conducts free classes and holds examinations, and awards degrees and certificates for the following courses offered by it:-

Course		Equivalency
Academic Courses		
1.	PRAK SHASTRI (2-year course)	Uttar Madhyama/ Higher Secondary/ Intermediate
2.	SHASTRI (3-year / 6-semester course)	B.A.
3.	SHASTRI (HONS.) (3-year / 6-semester course)	B.A. (Hons.)
4.	ACHARYA (2-year / 4-semester course)	M.A.
Training Courses		
5.	SHIKSHA SHASTRI (2-year course)	B.Ed.
6.	SHIKSHA ACHARYA (2-year course)	M.Ed.
7.	DIPLOMA COURSES (1-year course)	DIPLOMA
Research Course		
8.	VIDYAVARIDHI	Ph.D.
Regarding the age it is according to the rules and regulations of State Govt and Govt. of India.		

ACADEMIC COURSES

PRAK SHASTRI : Eligibility

1. Admission to the course in a campus is through a merit list prepared on the basis of an admission test conducted by the Headquarter / respective campuses. The applicant should have passed Poorva Madhyama, or Matriculation Examination (also called 10th class, or Secondary Class Examination) or Veda Vibhushana Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratisthan, Ujjan or equivalent examination from any State Board of School Education, or University with or without Sanskrit as one of the subjects.
2. Duration of the course is 2 years. There are 6 papers each year and one additional compulsory paper of Computer Education.
3. Minimum age limit of student should be 15 Years.

Course Details of First and Second Year

First Paper	-	Vyakarana (Sanskrit Grammar)		
Second Paper	-	Sahitya (Sanskrit Literature)		
Third Paper	-	English		
Fourth Paper	-	Hindi	Hindi (optional)	Bangla
		Odia	Nepalese	Dogri
		Malayalam	Kannada	Gujarati
		Marathi	Manipuri.	
Fifth Paper	-	Optional		
		Odia	Nepalese	Dogri
		Political Science	Economics	History
		Sociology	Mathematics	Geography.
Sixth Paper	-	Optional		
		Veda	Vyakarana	Sahitya
		Jyotisha	Darshana	Kashmirshaiva Darshana.
Seventh Paper	-	Computer Education.		

SHASTRI (B.A.)

Eligibility of Shastri Course

Admission to the course in a Campus is through a merit list prepared on the basis of an admission test conducted by the Headquarter / respective Campuses.

The applicant should have passed any one of the following:-

1. Uttar Madhyama/Prak Shastri
2. Intermediate Examination from any Sanskrit University or Sanskrit Council, through traditional system.
3. Higher Secondary Examination/Intermediate or equivalent examination from any State Board of School Education, or University with Sanskrit as one of the subjects.
4. Vedavibhushan Examination conducted by Maharishi Sandipani Vedavidya Pratishthanam.
5. The applicant should have passed the language subjects / modern subjects in the qualifying examination, which he is opting for as optional Subjects at the Shastri level.)
6. Those who does not have sanskrit subject in 12th class an entrance examination is mandatory.
7. Minimum age limit of student should be 17 Years.

Course Details of Shastri Course

There are six semesters of this three-year course and seven papers each in every semester. There is also one separate paper in Computer Education.

First Paper	-	Vyakarana/Nyaya			
Second Paper	-	English (Compulsory)			
Third Paper	-	Hindi	Bangla	Odia	Nepalese
		Dogri	Malayalam	Kannada	Manipuri
Fourth Paper	-	Political Science	History	Economics	
		Sociology	Hindi Literature	English Literature	
Fifth Paper & Sixth Paper (any one from below)	-				
		Navya Vyakarana	Pracheen Vyakaran	Sahitya	Sarvadarshana
		Siddhanta Jyotisha	Phalit Jyotisha	Navya Nyaya	Nyaya
		Vaisheshika	Mimansa	Advaita Vedanta	Dharmashastra
		Vishishtaadvaitavedanta	Sankhyayoga	Paurohitya	Shuklayajurveda
		Kashmirshaivadarshana	Ramanandavedanta	Jaina Darshana	Puraneitihas
		Baudhdadarshana	Veda -Vedanga		
Seventh Paper	-	Computer Education.			

Note : The eighth paper of Shastri 3rd Year (Fifth & Sixth Semester) will be Environmental Studies.

SHASTRI PRATISHTHA (B.A. HONS.)

Eligibility of Shastri Pratishtha Course

The rules & regulations for the admission for this course in a Campus are applicable as mentioned in the Shastri (B.A.) Course .

Course Details of Shastri Course

There are six semesters of this three-year course and seven papers each in every semester/ year which is same as mentioned in the Shastri Course. In addition, Shastri Pratishtha-3rd year (5th & 6th Semester) there is one separate paper of Environment Science as 8th paper, Traditional Subject as 9th paper (any one optional choice from 5th & 6th paper of Shastri course) and Advanced Sanskrit subject as 10th paper.

ACHARYA (M.A.)

Acharya is a two-year / four semester course equivalent to the Post Graduation (M. A.) class. There shall be five papers every year / semester. The first four papers would be specific to the Shastra opted for; the fifth paper would be common to all the Acharya students. Duration of the examination shall be three hours. Maximum Marks per paper shall be 100.

Eligibility of Acharya Course

The applicant must have passed any of the following examinations:-

1. Shastri from Central Sanskrit University, or any other Sanskrit University, or any recognized institution.
2. Shiromani from Madras University, Annamalai University, Shri Venkateshwar University, Tirupati.
3. Vidvadmadyama from Karnataka Government.
4. Shastrabhushan (Prelim.) from Kerala Government.
5. Vidyapraveena from Andhra University, Visakhapatnam.
6. BA with Sanskrit as one of the subject from any recognized university.

Special Rules

1. The applicant should have studied the subject he is applying for, till Shastri.
2. The applicants who have obtained B.A. (Skt.) or Vedalankar / Vidyalankar degree may be allowed to opt for Sahitya / Dharmashastra / Sankhyayoga / Phalit Jyotisha/

- Karmakanda at Acharya level. The applicants who have obtained B.A. Sanskrit with Darshana may be allowed to opt for Advaitavedanta also.
3. The applicants who have passed B.A. (Hons.) may be allowed to opt for Veda/ Vyakarana/Sahitya/Dharmashastra/Sankhyayoga/Phalit Jyotish / Karmakanda etc..
 4. The applicants who have obtained Acharya in one subject / MA Sanskrit degree, may seek admission to any other subject, except Siddhant Jyotisha, Veda, Navya Nyaya, Navya Vyakarana, Mimansa. But, the applicants who have obtained Acharya degree in Phalit Jyotisha, Navya Nyaya, Navya Vyakarana may seek admission to Acharya in Siddhanta Jyotisha, Pracheen Nyaya, Vyakarana.
 5. The applicants with Nakshatra Vigyana as a subject in Sanskrit may opt for Siddhanta Jyotisha.

(**Note:** The applicant should mention his choice of subjects in order of priority.)

6. In Acharya course, there shall be five papers every year. Every year/semester, four papers shall be on the chosen subject, but the fifth paper shall be common for students of all the subjects. Maximum Marks shall be 100 and time allotted shall be 3 hours.

Compulsory Subjects

Navya Vyakarana	Pracheena Vyakarana	Sahitya	Siddhantajyotisha
Phalitajyotisha	Sarvadarshana	Dharmashastra	Jainadarshana
Bauddhadarshana	Sankhyayoga	Navyanyaya	Nyayavaisheshika
Mimansa	Advaitavedanta	Puranaitihas	Veda
Paurohitya.			

TRAINING COURSES

SHIKSHA-SHASTRI (B.Ed.)

The Central Sanskrit University conducts this two year regular course (four semesters) leading to the award of Shiksha-shastri (B.Ed.).

Admission Process

1. Shastri/B.A.(Sanskrit), Acharya/M.A.(Sanskrit) or equivalent from any recognized University with a minimum of 50 per cent marks. The eligible candidates have to take a common entrance test, called Shiksha-Shastri Test. The candidates in the merit list are called for counselling and allotment of the campus. The guidelines are issued by the Central Sanskrit University along with application form separately.
2. The age of the candidate should be 20 years.
3. The candidate should have completed 15 years of education under 10+2+3 system.
4. The observance of reservation policy as per the Government of India has been ensured in this course. 80% seats are reserved for the candidates who have obtained Shastri/Acharya degree studying under the traditional system. 20% seats shall be available for the candidates who have obtained B.A. (Sanskrit)/M.A.(Sanskrit) under the modern system. There is also reservation in campus such as 20% for campus students and 30% for the students of catchment area.

Course

A) THEORY

There are 7 theory papers in 1st year and 5 papers in 2nd year. Each paper carry 100 Marks.

B) PRACTICALS

For 1st year practical work 400 marks and 400 marks for 2nd year practical work.

Total Marks for 2 year Course = Theory 1200 + Practical 800 = 2000 Marks

SHIKSHA-ACHARYA (M.Ed.)

The Central Sanskrit University conducts this two year regular course (four semesters) leading to the award of Shiksha-Acharya (M.Ed.).

Admission Process

1. Acharya / M.A. or equivalent with a minimum of 50% marks, and Shiksha Shastri/B. Ed.(with Sanskrit as a subject of teaching) with a minimum of 55 percent marks (50% for ST/SC / Differently Abled candidates) from any recognized University. The candidates have to take a common entrance test, called Shiksha Acharya Test, conducted by the Central Sanskrit University every year on all India basis. The candidates in the merit list are called for counselling and allotment of the campus. The guidelines are issued by the Central Sanskrit University along with application form separately.
2. The age of the candidate should be 23 years.
3. The candidate should have completed 17 years of education under 10+2+3+2 system and B.Ed./Shiksha Shastri.
4. The observance of reservation policy as per the Government of India has been ensured in this course. 80 % seats are reserved for the candidates who have obtained Acharya degree studying under the traditional system. 20 % seats shall be available for the candidates who have obtained M.A. in Sanskrit under the modern system.

Course of Study

A) THEORY

There are 3 theory papers and 2 optional papers in 1st and 2nd semester and in 3rd and 4th semester, 2 theory papers and 1 optional paper each. In total there are 16 theory papers. Each paper carry 100 Marks.

B) PRACTICALS

1. Dissertation & Viva-voce 100 Marks (75+25)
2. Internship 100 Marks (50+50)
3. Practical Work 200 Marks (75+75+25+25)

Total Marks of the Course Theory 1600 + Practical 400 = 2000 Marks

DIPLOMA COURSES

· Diploma Course in Yoga and Ayurveda Sahitya

· Diploma Course in Vastu Shastra

General Rules for Admission

1. Eligibility of the candidate for entrance to any of the course shall be at least Senior Secondary (+2) or equivalent examination passed with Sanskrit as one of the subjects.
2. Medium of instruction shall be Sanskrit only.
3. The selected Campus allocates 40 seats for the allotted course, out of which 30 seats may be reserved for traditional students and 10 seats may be for students from modern stream.
4. The course is one year of two semesters (six months each).
5. The syllabus for the course comprises of 5 Papers of 50 Marks in each Semester.
6. Allocation of 50 Marks for each paper will be divided as 40+10 i.e. 40 for Theory and 10 for Practical.
7. At least 90% attendance shall be required for appearing in the examination of the Diploma course in Yoga and Ayurveda.

Fee structure and other details of Diploma Courses are available on the Central Sanskrit University's website at www.sanskrit.nic.in

RESEARCH COURSE

VIDYAVARIDHI (Ph.D.)

The research degree awarded by the Central Sanskrit University to the scholars registered at its Headquarter, or at the Campuses run by it, or at the institutions affiliated to it, is called Vidyavaridhi (Ph.D.).

Eligibility for Registration

1. The candidates who have passed Acharya / M.A. in Sanskrit or equivalent, with 55 per cent (50 per cent for ST/SC/ Differently Abled candidates) or more from the Campuses of Central Sanskrit University / Universities or Deemed Universities recognized by the UGC; and, have been declared successful in the merit list of Research Test, are eligible to apply for registration as research scholars at the Central Sanskrit University.
2. The aspiring research scholars who are employed as teachers at the various Campuses of the Central Sanskrit University, or at its affiliated colleges/schools, who have obtained Acharya or M.A. in Sanskrit with 55 per cent marks, may apply for registration as 'Adhyapak Shodharthi' (teacher researcher). Their registration will be done as per U.G.C. norms.
3. All those aspiring research scholars from abroad who have obtained their post-graduate degree, securing 55 per cent marks or more from any of the Indian Universities recognized by the UGC, may also apply for registration as research scholars through Ministries of Foreign Affairs, and Human Resource Development, Government of India.

Combined Vidyavaridhi Entrance Test

- a) The Combined Vidyavaridhi Entrance Test by Central Sanskrit University is conducted in May for registration to research course.
- b) Information about test / registration etc. may be seen in the guidelines for combined Vidyavaridhi Entrance Test.

Process of Registration

The candidate declared eligible in the merit list shall submit his application, duly forwarded by the guide, along with synopsis of the thesis. After that, the local research committee shall review the research candidates, and their topics and synopses. The applications found in order shall be sent by the Director concerned to the Central Sanskrit University, New Delhi, at a certain date, for consideration and approval by the Central Research Board. After the approval of the application in the session of the Central Research Board called by the Research Department of the Central Sanskrit University and the receipt thereof at the concerned Campus, the candidate shall deposit his admission fees, thereby completing his/her registration process. Candidates can pursue their research at the Sanskrit Headquarter too.

DOCUMENTS REQUIRED FOR ADMISSION TO VARIOUS COURSES

The applicant seeking admission to the various course offered by the Central Sanskrit University should submit the attested following documents along with the duly filled in application form:-

1. Attested photocopies of all the examinations passed previously.
2. Attested photocopies of subject-wise marks list of all the examinations passed previously.
3. Attested photocopy of Date of Birth Certificate (Matriculation or equivalent mentioning the date of birth of the candidate).
4. Original Character Certificate from the Head of the Institution previously attended. (In case the certificate from the Head of the Institution is older than six months, a fresh Character Certificate from the Gazetted Officer should also be attached).
5. Original Transfer Certificate (TC).
6. Migration Certificate for students from Institutions other than the Central Sanskrit University.

(Note: Under special circumstances, the Director may allow admission without Transfer Certificate and Migration Certificate, but the student shall have to submit the same within reasonable time-limit, failing which his admission is liable to be cancelled.)

7. Attested photocopies of sports certificates or extra-curricular activity certificates, if any.

The student has to present his/her original documents at the time of admission. Unclear and unattested copies shall not be admissible.

DRESS CODE FOR STUDENTS

Shikshashastri and Shikshacharya students have to wear special teaching practice uniform, as decided by the Head of the Department of Education of the concerned campus. All other students should wear a simple dress when they come to attend the Campus.

2. CANCELLATION OF ADMISSION AND ADMISSION OF WAIT-LISTED CANDIDATES

Admission of the candidates who do not complete all the admission-related formalities in time would be cancelled and in their place the wait-listed candidates would be admitted in order of merit, provided they also complete their admission-related formalities within stipulated time.

Note:-

- A) In case, a candidate manages to get admission on the basis of information which is later found to be false, his admission would be cancelled without assigning any reason, and the Central Sanskrit University would not be held accountable for the same.

- B) In case, there is discrepancy between the rules mentioned in this prospectus, and the rules which the Central Sanskrit University may have published or indicated in the past from time to time through its notifications, the latter (I.e. the rules published by the Central Sanskrit University) would be applicable, getting preference over the former.

3. CAUTION MONEY

- A) In case, a candidate leaves the Central Sanskrit University in the middle of the course, without completing it, none of the fees deposited by him, except the Security Amount, shall be refundable to him.
- B) Caution money will be paid back after the declaration of result or at the session-end. However, if a student takes back the said money during the session, the admission of the student will stand cancelled and he/she will not be re-admitted in any case.

4. ATTENDANCE & LEAVE RULES

Regular attendance of all the classes is compulsory for the students. The name of the student is liable to be struck off in case he absents himself from the classes continuously for ten days or more without applying, in writing, for leave of absence. The Director may order re-admission of such student, provided, he is satisfied with the student's explanation of reasons for the unauthorized absence. In such case, the student shall have to deposit his admission charges afresh.

A student must have 75% attendance in order to be able to sit in the examination of Prak Shastri, Shastri & Acharya, i.e. a student will be allowed leave only for a maximum of 25 per cent of total lecture days in one academic session (in case of annual system) or one academic semester (in case of semester system). This leave will be admissible with prior permission of the Director on following grounds –

- a) 10-days leave without medical certificate, on the recommendation of the Head of the Department.
- b) 20-days medical leave for which a medical certificate of sickness and fitness has been obtained from a registered medical practitioner.

Note: Above-mentioned benefit of both types shall be admissible for whole session and not for one semester. If a student avails the full benefit of said leaves in first semester of the session, he/she will not be able to avail any benefits in next semester.

- c) To sit in examination of Shiksha Shastri and Shiksha Acharya, a student must have 80% attendance in theory papers and 90% attendance in practical activities, i.e. a student will be allowed leave only for a maximum of 20% in theory papers and 10% in practical activities by the Director on the recommendation of Head of department. No other leave will be admissible to these students.

Relaxation in Compulsory Attendance with reference to Examination

- a) The Vice-Chancellor may grant relaxation upto 5% out of the total attendance required. The Directors of concerned Campuses/Colleges/Adarsh Vidyapeethas will forward such cases to the Vice-Chancellor giving valid reasons for grant of relaxation.
- b) In transfer cases, the student shall get the benefit of attendance at the previous campus or institution, but the students studying in preliminary course through correspondence mode shall be governed by the rules notified for them by the Central Sanskrit University from time to time.
- c) In spite of meeting the above criteria, the student who has been rusticated or found ineligible to take examination for certain period from the Central Sanskrit University, shall not be allowed to sit in any examination of the Central Sanskrit University.
- d) The student, who has 75% or more attendance, is unable to sit in the examination due to ill-health and produces a medical certificate regarding his sickness and medical certificate certifying his fitness from a registered medical practitioner, shall be allowed to sit in the next examination as a former student. He may attend classes but shall not be entitled to scholarship.

Note : Appearing in two examinations at the same time, whether conducted by the Central Sanskrit University or any other educational institution, is not permitted. Every student shall have to obtain his degree in five attempts within five years of his first admission.

5. FEES

After the approval for admission, each student will deposit following fee (In Rupees) along with caution money-

Fees for Academic Courses

S.No.	Item	Prak-shastri	Shastri	Acharya	Vidyavaridhi
1.	Admission form fee	-	-	-	100
2.	Admission Fee	125	125	125	150
3.	Library Caution Money	150	150	150	5000
4.	Enrolment Fee	30	30	30	100
5.	Identity Card	50	50	50	50
6.	Magazine Fee	75	75	75	100
7.	Sports Fee	100	100	100	100
8.	Student Fund Fee	400	400	400	500
9.	Various Activities Fee	120	120	120	200
10.	Art/Craft Fee	50	50	50	500
11.	Exam Fee	-	-	-	500
	Total Fee	Rs. 1100	Rs. 1100	Rs. 1100	Rs. 6800

Fees for Training Courses

For Shikshashastri & Shikshacharya courses : Common Fee

S.No.	Item	First Year	Second Year
1.	Admission Fee	500	500
2.	Library Caution Money	500	500
3.	Enrolment Fee	100	100
4.	Identity Card	50	50
5.	Magazine Fee*	100	100
6.	Sports Fee	100	100
7.	Student Fund Fee	400	400
8.	Various Activities Fee	150	150
9.	Art/Craft Fee	100	100
	Total	Rs. 2000	Rs. 2000

Shiksha-Shastri Special Student Fund

S.No.	Item	1st Year Fee Rs.	2nd Year Fee Rs.
1.	Admission Fee	2000	2000
2.	Departmental Magazine	400	400
3.	Teaching Kit	500	500
4.	Other Activities Fees	2000	2000
5.	Computer Work	100	100
6.	Seminar	100	100
7.	Group Photo	–	200
8.	Extension Lecture	–	300
	Total	Rs. 5100	Rs. 5600

Shiksha-Shastri Grand Total - Rs. 5100 + Rs. 5600 = Rs. 10700/-

Shiksha-Acharya Special Student Fund

S.No.	Item	1st Year (2 Semester) Fee Rs.	2nd Year (2 Semester) Fee Rs.
1.	Admission Fee	2000	2000
2.	Departmental Magazine	450	450
3.	Teaching Kit	500	500
4.	Other Activities Fees	2000	2000
5.	Internship	500	500
6.	Seminar	400	500
7.	Computer Work	100	200
8.	Group Photo	–	200
9.	Extension Lecture	150	250
	Total	Rs. 6100	Rs. 6600

Shiksha-Acharya Grand Total - Rs. 6100 + Rs. 6600 = Rs. 12700/-

Hostel Fee

S.No.	Item	Fee
1.	Admission Fee	300
2.	Hostel Caution Money	2000
3.	Electricity Fee	700
4.	Maintenance Fee (Non-refundable)	1000
	Total	Rs. 4000

STUDENT FUND

The student fund is managed by a committee headed by the Director. A faculty member shall be in the committee as the Student Welfare Officer. The students at the top of the merit lists of classes shall be the members of the committee. The amount collected under the head of Student Fund shall be deposited in a special bank account opened specially for the purpose. The account shall be jointly operated by the Director and the Section Officer. Like other heads of the finance, the Student Fund shall also be audited.

6. STUDENT WELFARE COUNCIL

There shall be Student Welfare Councils in all the Campuses of the Central Sanskrit University. These councils will comprise of the students getting highest marks in their qualifying examination in the campus.

NATIONAL SERVICE SCHEME

The main principle of the programme of National Service Scheme is that it is organised by the students themselves and both student and teachers through their combined participation in social service, get a sense of involvement in the tasks of national development. Hence, there will be one unit of National Service Scheme in every campus of the Central Sanskrit University under the leadership of one co-ordinator and one joint co-ordinator.

7. DISCIPLINE

The conduct of the students should be top-class so that they add to the reputation of the Central Sanskrit University. They should not smoke, drink or use other forms of tobacco, or intoxicating drugs. They are expected to take part in various academic activities being conducted in the campus. In case, any student damages any property of the Campus, he may lose his admission and the amount of damage shall be recovered from him.

CODE OF CONDUCT

The students of the Campus shall strictly follow, in totality the code of conduct given below.

1. All the students shall practice self-discipline and attend the classes regularly.
2. Those who violate the discipline shall be duly punished as per rules. Those held guilty of serious violations may be punished with rustication, if recommended by the Discipline Committee of the Campus.
3. Anyone damaging Campus property shall invite disciplinary action against himself/herself, and shall be held liable to compensate the campus for the losses caused.
4. It is expected of the campus students that they shall maintain the dignity of the Campus. With this in mind, they are advised to stay away from any such undesirable activities which may go against the dignity of the Campus.
5. The students of the Campus should not take part in politics.
6. The Discipline Committee of the Campus may punish the student who spreads, or causes to spread violence, disturbs peace, or tries to force his/her own ideas upon others.
7. The decision of the Director, upon the recommendations of the Discipline Committee, shall be final.
8. Use of mobile phones during the classes is banned.

8. ANTI-RAGGING REGULATIONS

Anti-ragging Committees shall be constituted in all the campus in pursuance of U.G.C. Anti-ragging Regulation – 2009, Rule 6-3 (A) dated 17 June, 2009.

As per the Section 7 of the U.G.C. Anti-ragging Regulation – 2009, ragging includes the following acts as acts of crime and would invite punishment under rules:-

1. To incite someone for ragging.
2. To engage in criminal conspiracy for ragging.
3. To assemble and cause disturbance to peace for ragging.
4. To obstruct public movement for ragging.
5. To violate morality and dignity for ragging.
6. To cause physical injury.
7. To cause undue obstruction.
8. To resort to criminal use of force.
9. To cause physical, sexual or unnatural offence.
10. To forcibly grab somebody or something.
11. To trespass with criminal intent.
12. To indulge in property related offences.
13. To criminally intimidate someone.
14. To indulge in any of the above-mentioned offences against people in difficult situation.
15. To threaten victims of one or many of the offences mentioned above.
16. To insult someone physically or mentally.
17. All the offences defined as ragging.

What constitutes ragging –

Any one or more than one of the following acts would constitute ragging –

- a) Verbal, written, or physical torture or misbehaviour with new student/s by senior student/s.
- b) Creation of an atmosphere of indiscipline and terror by the student/s which may cause hardship, agitation, difficulty, or physical or mental anguish to new student/s.
- c) To ask the student to do any act which he normally does not do and which may create a feeling of shame, anguish or fear.
- d) Any act by senior student/s which obstructs an ongoing academic activity being carried on by any other or new student.
- e) To exploit any or new student/s by forcing him/her to do the academic work given to some other student/s.
- f) To subject any student to economic exploitation in any manner.

- g) Any activity involving physical exploitation/ any kind of sexual exploitation / same sex assault / removal of clothes or dress to expose body / to force into obscene, or sexual activity / expression of indecent through physical gestures / any kind of physical torture which may harm someone's body or health.
- h) To abuse someone verbally, through e-mail, mail / to insult publically / or torture / to create sensations which may create a fear psychosis among students / new students.
- i) Any act which may adversely affect the mind or confidence of any new student.
- j) To encourage a student on evil path or to try to dominate him/her.
- k) Toll free number for prohibition of Ragging - 1800-180-5522
Telephone No. 09871170303, 09818400116 only for Urgency
Website www.antiragging.in

Actions to be initiated on receipt of information regarding ragging incident

Upon receiving the information, from the Anti-ragging Committee or any other source, of any ragging incident having taken place, the head of the institution should, first of all, confirm the veracity of the information. If the information is found to be true, he should get an FIR registered within 24 hrs of receiving the information, or proceed according to the local law against ragging. Administrative action on ragging incidents

As per the Anti-ragging Act-2009 rule 9.1(B), there is a provision of following punishments for the students found to be indulging in ragging:-

- 9.1 The institute must act against the student/s found to be guilty of ragging, as per the following procedure.
- a) The Anti-ragging Committee of the Campus shall take appropriate decision in the matter, or going by the seriousness of the ragging incident, shall recommend to the Director, an appropriate punishment for the guilty.
- b) The Anti-ragging Committee shall take into consideration the nature and seriousness of the ragging offense and recommend any of the following punishments:-
- I. Suspension from class attendance and other academic rights.
 - II. Suspension of scholarship and other benefits.
 - III. Stopping from appearing in any test, examination or other evaluation process.
 - IV. Stopping of the declaration of result.
 - V. Stopping from representing the institution in any regional, national or international meet, sport, youth festival etc.

- VI. Expulsion from hostel.
 - VII. Cancellation of admission.
 - VIII. Rustication from the institution for four years.
 - IX. Expulsion from the campus for a certain period of time.
 - X. In case, the culprits are not identified, the campus may resort to collective punishment.
- c) The appeal against the punishment awarded by the Anti-ragging Committee may be made before the following authorities:-
- I. The Vice Chancellor, if the institute is affiliated to the University.
 - II. The Chancellor, if the punishment has been awarded by the University.
 - III. The Chairman or the Chancellor, if the institute awarding the punishment is an institution of national importance created by an act of the Parliament.

9. SCHOLARSHIP

Objective -

The main purpose of granting scholarship to the students of the Central Sanskrit University is to encourage the students to receive Sanskrit education.

Eligibility for Scholarship

1. The regular students of the Central Sanskrit University, who have scored 40% or more marks in the last qualifying examination (60% or more marks if the student is admitted to Shiksha Shastri & Shikshacharya) may be considered for award of scholarship.
2. The scholarship shall be awarded on merit basis. The students, in whose favour the scholarship has been sanctioned in the first year of the course, shall continue to receive the same till the duration of the course, if they are declared pass every year and continue to be eligible for scholarship. But, if they are declared promoted in any subject or paper, or are held up for Compartment, they shall not be considered for grant of scholarship for the rest of the years of the course.
3. Eligible students from 2nd or 3rd year may also be considered for grant of scholarship, if some scholarships are available.

No. of Scholarships

Subject to budgetary provisions and continuation of courses, the availability of scholarships in the various courses every year shall be as under:-

a)	PRAK-SHASTRI	60 % students from allotted seats
b)	SHASTRI	60 % students from allotted seats
c)	ACHARYA	60 % students from allotted seats
d)	SHIKSHA SHASTRI	60 % students from allotted seats
e)	SHIKSHACHARYA	60 % students from allotted seats
f)	VIDYAVARIDHI	30 Scholarships every year

Rules for grant of Scholarship -

1. The grant of scholarship shall depend upon educational progress, good conduct and regular attendance.
2. The scholarship shall be granted for 10 months in a year.
3. Every year, or upon passing an examination, a fresh selection of students for the grant of scholarship shall be made. The students who have completed their syllabus, or have passed a part of the exam, shall be awarded scholarship in the New Year or course on the basis of merit.
4. A student getting scholarship on the basis of above rules shall not receive any scholarship, salary, fees etc. from any other source. If he/she is receiving such income, he/she shall have to leave that employment and return the money received. In case, he/she unexpectedly receives some prize, in cash or any other mode, equivalent to or less than the amount of his/her scholarship, he /she shall not be deemed unfit for receiving the scholarship. Similarly, he /she shall be allowed to avail of free education provided by the University, hostel facilities for self-study, books and travel facilities.

Amount of Scholarship -

The monthly amount of scholarship for each programme is as under:-

1.	PRAK SHASTRI	Rs. 600
2.	SHASTRI	Rs. 800
3.	SHIKSHA SHASTRI	Rs. 800
4.	ACHARYA	Rs. 1000
5.	SHIKSHA ACHARYA	Rs. 1000
6.	VIDYA VARIDHI	Rs. 8000 (+Rs. 8000 Contingency Grant)

Note- The Contingency Grant will be paid to the research scholar upon the details of expenses submitted by the research scholar. The Contingency Grant may be used for meeting the expenses incurred by the research scholar on purchase of books, travel in connection with research, writing and typing.

The amount of scholarships may be increased or decreased by the Central Sanskrit University any time.

The scholarships shall be disbursed only upon receipt of financial approval and the amount approved from the Central Sanskrit University. For receipt of the scholarship, 75% attendance and maintenance of discipline are a must. The scholarship may be suspended or cancelled, in case some teacher or employee of the Central Sanskrit University complains of indiscipline by the student.

The selection process for Scholarship

The student must apply for scholarship on a prescribed form. After a scrutiny of the applications, the Director shall grant approval for award of scholarship, under rules, on the basis of the merit.

Duration of Scholarship

- a) The duration of the scholarship shall be 10 months in a session.
- b) The research scholarships shall be 2 years (24 months).
- c) Depending upon the eligibility criteria, the scholarship shall be from the first or second year to the last year of the course.
- d) The scholarship, once cancelled, shall not be resumed without the prior permission of the Central Sanskrit University.
- e) Satisfactory conduct and regular attendance are the basic conditions of the scholarship. If the attendance of a student falls below 75% in any month, in any subject, he shall not be given scholarship till the time he does not complete the mandatory 75% attendance. In case, a student remains continuously absent for 30 days, he shall be given scholarship only after deducting the amount due during the period of absence, even if the overall percentage of his attendance is above 75%.

Disbursement

Normally, the Director shall order the disbursement of scholarship amount in the first week of every month, on the recommendation of the Scholarship Committee which the committee shall make after taking into consideration the percentage of attendance by the student. The scholarship shall begin from the date the student actually starts attending the classes.

SCHOLARSHIP FOR THE RESEARCH SCHOLARS

Every year, a total of 30 of the research scholars registered at each of the various Campuses are selected by the Central Sanskrit University for award of scholarships. However, the Vice Chancellor, in exercise of his special powers, may change the number of scholarships as per the special circumstances prevailing in a campus.

RESEARCH SCHOLARSHIP RULES

The research scholars who have secured 60% marks or more in their Acharya / M.A. (Sanskrit) examination shall, be considered for award of research scholarship as per the merit list prepared by the Central Sanskrit University. One scholarship per department in all the Campuses of the Central Sanskrit University shall, initially, be available for award. The Vice Chancellor's decision in this regard shall be final.

DURATION OF THE RESEARCH SCHOLARSHIP

The duration of the research scholarship shall be for a period of 24 months, extendable by another 12 months at the recommendation of the Guide and the local Research Committee.

DISBURSEMENT OF THE RESEARCH SCHOLARSHIP

At the recommendation of the Central Sanskrit University, the disbursement of the research scholarship shall commence within three months of the registration of the research scholar through the Campuses of the Central Sanskrit University. During the period of the scholarship, the students shall not accept salary or another scholarship from any other institution or organization. In case, the research scholar is found to be in receipt of any such scholarship from any other source, it shall constitute an act of indiscipline and shall lead to cancellation of his registration. The research scholar shall also have to return the total amount of scholarship received by him till date.

The research scholar is expected to maintain the dignity of the Central Sanskrit University Campus. The discipline committee of the Campus may take disciplinary action, which may include cancellation of his scholarship, against any such research scholar who is found to be guilty of improper behaviour. Repetition of the offence may lead to cancellation of registration upon the recommendation of the Local Research Committee.

10. FACILITIES TO THE STUDENTS

RAILWAY CONCESSION

There is a provision for railway fare concession to all the students registered with the Central Sanskrit University, who are travelling from the Campus to home town and back. Those appearing in the final class shall be given fare concession up to home town only, and not back. The requisite forms are provided by the office upon application. The duly filled-in forms must be deposited in the office one week before the commencement of the journey. It should be noted that this concession is available only for the students who are below the age of 25 years. However, this condition and the conditions relating to holidays and hometown do not apply to research scholars who can travel as many times as needed and to any part of the country on concessional fare on the recommendations of the Head of the Department.

LIBRARY FACILITIES

There are vast and well-stocked libraries in all the campuses of the Central Sanskrit University, housing rare and ancient Sanskrit books, in addition to books on modern subjects. These libraries also subscribe to periodicals and journals. The Campuses of the Central Sanskrit University will follow the prescribed library rules which will be displayed by respective Campuses in their libraries.

LABORATORY FACILITIES

All the campuses of the Central Sanskrit University are equipped with laboratories, which include computer laboratory, psychology laboratory, educational technology laboratory, Work experience laboratory and language teaching laboratory. The Campuses of the Central Sanskrit University will follow prescribed laboratory rules which will be displayed by respective Campuses in their laboratories.

GYMNASIUM FACILITIES

Gymnasium facilities are available at most of the Campuses of the Central Sanskrit University. These gymnasiums are equipped with modern exercise machines and gadgets, such as, dumb bells, weight plates, etc. The Campuses of the Central Sanskrit University will follow prescribed gymnasium rules which will be displayed by respective Campuses in their gymnasium.

11. HOSTEL

The Boys & Girls hostel facilities are available in almost all the Campuses of the Central Sanskrit University. The Campuses of the Central Sanskrit University will follow prescribed hostels rules which will be displayed by respective Campuses in their hostels.

12. CAMPUS COMMITTEES

For the smooth and well-organized conduct of annual activities in all the campuses of the Central Sanskrit University, the following committees should be constituted. However, some sub-committees may also be constituted, if required.

1. Admission Committee
2. Discipline Committee
3. Hostel Committee

4. Library Committee
5. Academic Committee
6. Cultural, Shastriya and Arts Committee
7. Scholarship Committee
8. Examination Committee
9. Magazine Publication Committee
10. Anti-ragging Committee
11. Teacher-parent Advisory Committee
12. Planning, Project and Development Committee
13. Purchase and Sales, Auction, Printing and Photography Committee
14. Verification Committee (for books, store, furniture, fixtures, stationery etc.)
15. Committee for the differently abled, minorities.
16. Human rights and Anti Sexual Harassment.
17. Personality Development, Employment and Placement Advisory Committee
18. RTI Cell
19. Local Research Committee
20. National Service Scheme Committee
21. Press, printing, advertisement, Information and Public Relations Committee
22. Transparency and Vigilance Committee
23. Student Welfare Fund Committee
24. Sports Committee
25. Students Counselling Centre
26. Placement Cell
27. Complaint Diterrence Committee
28. Guidance Cell
29. Digital Learning & Monitory Cell
30. SC & ST Cell
31. OBC Cell

CAMPUSES OF CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY , DELHI

1. GANGANATH JHA CAMPUS, ALLAHABAD (U.P.)

PUBLICATIONS

- ❖ USHATI – Annual Magazine ❖ JOURNAL OF GANGANATH JHA CAMPUS

SPECIAL FEATURES

- Acharya Mandan Mishra Memorial Lecture series
- Museum of Manuscripts
- Editing/translation/publication of rare Sanskrit Matrikas/books.
- Special activities : - a) Manuscript Collection, b) Preservation – listing, c) Scanning

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

Central Sanskrit University GANGANATH JHA CAMPUS

Chandra Shekhar Azad Park, Allahabad - 211001 (U.P.)

Ph. No. 0532-2460957, Fax No.: 0532-2460956

e-mail : principal.alld@gmail.com

website : www.gnjhacampusrks.org

2. SHRI RANBIR CAMPUS, JAMMU (J&K)

❖ Hostels

- Girls Hostel
- Boys Hostel
- Mess (In both hostels, separately)

❖ Gymnasium

❖ SHRI VAISHNAVI – Annual Magazine

❖ SHIKSHA AMRITAM – Annual Magazine of Department of Education

❖ Kashmir Shaiv Darshan Project

❖ Planetarium

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

Central Sanskrit University SHRI RANBIR CAMPUS

Kot Bhalwal, Jammu – 181122

Jammu and Kashmir

Ph. No. 0191-2623533, 2623090

e-mail : ranbirjmu@gmail.com

Website : www.rsksjmu.ac.in

3. SHRI SADASHIV CAMPUS, PURI (ODISHA)

- ❖ **Hostels**
 - Girls Hostel ➤ Boys Hostel
 - Mess (In both hostels, separately)
- ❖ Jyotisha Experimental Lab
- ❖ PAURNAMASI – Annual House Magazine
- ❖ SADASHIVA SANDESH – Quarterly News Magazine
- ❖ PAURNAMASI – Annual House Magazine
- ❖ Jagannatha Encyclopaedia Project

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

Central Sanskrit University SHRI SADASHIV CAMPUS

Puri – 752001 Odisha

Ph. No. 06752-223439

email : principalpuri2009@gmail.com

website : www.rskspuri.ac.in

4. GURUVAYUR CAMPUS, THRISSUR (KERALA)

- ❖ **Hostels**
 - Girls Hostel ➤ Boys Hostel
 - Mess (In both hostels, separately)
- ❖ Gymnasium – in both Hostels ❖ GURUDEEPIKA – Annual House Magazine
- ❖ NIBANDHAMALA – Annual Research Journal
- ❖ Departmental Magazines of Departments of Vyakaran and Sahitya
- ❖ P. T. Kuriakkose Master International Lecture Series
- ❖ Sale Section – Library

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

Central Sanskrit University GURUVAYUR CAMPUS

P.O. Purnatukkara, Trissur – 680051, Kerala

Ph. No.: 0487-2307208 Telefax: 0487-2307608

e-mail : rss.guruvayoor@gmail.com

website : www.sanskritguruvayoor.org

5. JAIPUR CAMPUS, JAIPUR (RAJASTHAN)

- ❖ **Hostels**
 - Girls Hostel
 - Mess (In both hostels, separately)
- Boys Hostel
- Tennis and Badminton Court
- ❖ Gymnasium
- ❖ Yoga Camp
- ❖ Jyotish lab
- ❖ JAYANTI – Annual House Magazine
- ❖ SHIKSHA SANDESH – Annual Magazine of Department of Education
- ❖ Prakrit Study and Research Centre
- ❖ National Service Scheme
- ❖ Vastu and Jyotish Deploma
- ❖ Course on introduction of Jyotish and Vastu

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

Central Sanskrit University JAIPUR CAMPUS

Triveni Nagar, Gopalpura Bypass, Jaipur – 302018, Rajasthan

Ph. No. 0141-2761115 (Off.) 0141-2761236 (Director) 0141-2760686

e-mail : principaljp.in@gmail.com

website: www.rsksjaipur.ac.in

6. LUCKNOW CAMPUS, LUCKNOW (U.P.)

- ❖ **Hostels**
 - Girls Hostel
 - Mess (In both hostels, separately)
- Boys Hostel
- ❖ Gymnasium
- ❖ Gomati – Annual Magazine
- ❖ Gyanayani – Quarterly
- ❖ Sahitya Samakhya-Annual
- ❖ Bhaskarodaya – Annual
- ❖ Shri Jagannatha Panchangam
- ❖ Pali-Prakrit-Anusheelanam – Half Yearly
- ❖ Pali Study and Research Centre
- ❖ Certificate Course for Introduction of Jyotisha
- ❖ 6 Months Certificate Course - For Pali, Prakrit and Tibetan

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

Central Sanskrit University LUCKNOW CAMPUS

Vishal Khand-4, Gomati Nagar, Lucknow- 226010 (U.P.)

Ph. No. 0522-2393748, 0522-2304724

Fax No. 0522-2302993

email : rskslucknow@yahoo.com

website : rskslucknowcampus.org

7. RAJEEV GANDHI CAMPUS, SRINGERI (KARNATAKA)

- ❖ **Hostels**
 - Sharada Girls Hostel
 - Rishyashringa Boys Hostel
- ❖ Arrangement for Sharada Prasad – with the grace of Mahaswami Shri Bharati Teertha ji.
- ❖ Vajrini Gymnasium
- ❖ SHARADA – Annual House Magazine
- ❖ Vakyartha Council
- ❖ Vagvardhini Parishad
- ❖ Shri Sharada Special Lecture Series
- ❖ Council of Competition
- ❖ Shri Rajeev Gandhi International Memorial Lecture series
- ❖ Shri Shri Bharati Teerth Mahaswami Shastrartha Sabha

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

Central Sanskrit University SHRI RAJEEV GANDHI CAMPUS

Menase, Shringeri– 577139

Chikmanglur (Karnataka)

Ph. No. 08265-250258 Fax: 08265-251763 (R.) 08265-251616

e-mail: principal_rgc@hotmail.com

website : www.singericampus.ac.in

8. VEDAVYASA CAMPUS, BALAHAR (H.P.)

- ❖ **Hostels**
 - Girls Hostel
 - Boys Hostel
 - Mess
- ❖ Campus Bus for Transportation
- ❖ N.S.S. (National Service Scheme)
- ❖ VED VIPASHA – Annual House Magazine
- ❖ VYAS VANI – Annual Magazine
- ❖ PRACHI PRAGYA – On-line Sanskrit Magazine
- ❖ Women Study Centre
- ❖ Jyotish Project
- ❖ Various Parishads/Clubs- Vagvardhini Parishad, Different Shastric Parishads, Students Counseling Centre, Environmental Club, Media Club, Health Club, Kalaranjani

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

Central Sanskrit University SHRI VED VYAS CAMPUS, GARLI

Balahar, Kangra - 177108

Himachal Pradesh

Telefax: 01970-245409

e-mail: principal.garli@gmail.com

website : rsksbalahar.ac.in

9. BHOPAL CAMPUS, BHOPAL (M.P.)

❖ Hostels

- Dakshi Girls Hostel
- Kavibhaskar Boys Hostel
- Mess
- ❖ Auditorium – Bhavabhuti Auditorium
- ❖ Open Air Theatre– Bharat Rang Mandap
- ❖ Hariwasam- Staff Quarters
- ❖ Sudama - Guest House
- ❖ Gymnasium
- ❖ RASHTRI – Annual House Magazine
- ❖ SHASTRA MIMANSA – Research Journal
- ❖ BHOJARAJA PANCHANGAM
- ❖ Vyakaranamimansa-Magazine of Vyakarana
- ❖ Sahityamimansa - Magazine of Sahitya
- ❖ Jyotishamimansa - Magazine of Jyotish
- ❖ Mimansika - Magazine of Modern.
- ❖ Saikshikaprabandhanasya Mimansa-Magazine of Saikshika
- ❖ Jainadarshana Mimansa -Magazine of Jaindarshan.
- ❖ Natyashastra Kendra (Dramatics Centre)
- ❖ Sanskrit Teaching Research Survey Project.
- ❖ Language / Dialect Dictionary from Bundeli to Sanskrit.

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

Central Sanskrit University BHOPAL CAMPUS

Sanskrit Marg, Baghsewaniya, Bhopal - 462043 Madhya Pradesh

Ph. No. 0755-2418043 Fax: 0755-2418003

e-mail: rsksbhopal@yahoo.com

website : rsksbhopal.ac.in

10. K. J. SOMAIYYA CAMPUS, MUMBAI (MAHARASHTRA)

- ❖ Hostels ➤ Separate hostel for Boys and Girls are available. ➤ Mess
- ❖ Gym and playground facilities are available at Somaiya Vidyavihar for Vidyapeetha Students.
- ❖ Vidyarashmi -Annual Research Journal ❖ Vidyashri -Annual Magazine.
- ❖ VagVai Brahma-Magazine of Vyakaran ❖ Kavyalatika-Magazine of Sahitya
- ❖ Shiksharashmi-Magazine of Education ❖ Jyotishrashmi -Magazine of Jyotish
- ❖ Vaibhashiki-Magazine of Modern Subjects

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

Central Sanskrit University K.J. SOMAIYA CAMPUS

SURUCHI BUILDING, 1ST FLOOR,

VIDYAVIHAR (E), MUMBAI - 400 007 (MAHARASHTRA)

Ph. No. 022-21025482/52

e-mail : rsksmumbai@yahoo.com

website : www.rsksmumbai.in

11. EKALAVYA CAMPUS, AGARTALA (TRIPURA)

- ❖ Hostels
 - Girls Hostel
 - Boys Hostel
 - Mess (In both hostels, separately)
- ❖ Gymnasium
- ❖ Ekalavya - Research Magazine
- ❖ Saikshika Magazine - Research Magazine Education Department
- ❖ Vyakarana Praject
- ❖ Jyotisha Project
- ❖ E. Granthalaya Project
- ❖ E. Text Project

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

Central Sanskrit University EKALAVYA CAMPUS

Old IASE Building, Near Buddha Temple,
Radhanagar Bus Stand, Agartala – 799006, Tripura
Ph. No. - 0381-2907855 Fax No. - 0381-2907859

e-mail: eklavyacampus.rsks@gmail.com

website : www.ekalavyacampusrsks.in

12. SHRIRAGHUNATH KIRTI CAMPUS, DEVAPRYAG (UTTARAKHAND)

- ❖ Hostels
 - Girls Hostel
 - Boys Hostel
 - Mess (In both hostels, separately)
- ❖ Campus Journals - Raghunath Kirti Pataka
- ❖ Research Journals - Devbhoomi Sourabham
- ❖ Quarterly News letter - Raghunath Vartavali

ADDRESS AND PHONE NUMBERS

Central Sanskrit University SHRI RAGHUNATH KIRTI CAMPUS,

Devpryag, Pauri Garhwal,
Uttarkhand – 249 301
Ph. No. - 09412949976

e-mail : raghunathkirticampus@gmail.com

website : www.srkcampus.org